

5050

अंग्रेजों के खिलाफ -  
**क्रांति**

( छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का उदयोष )

**रायपुर षडयंत्र केस-1942**



**इंजी. अमरनाथ त्यागी**



---

## अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति

---

© इंजी. अमरनाथ त्यागी 'मानस-मर्मज्ञ', मो.-094242-33033  
27/406, पुरानी बस्ती, बनियापारा  
गोपाल मंदिर के निकट, रायपुर (छ.ग.)

प्रकाशक	-:	प्रगति प्रकाशन चौबे कॉलोनी, रायपुर 492001
मुद्रक	-:	महावीर ऑफसेट, गीता नगर, रायपुर
लोक-संस्करण	-:	2011
मूल्य	-:	20 रु. (बीस रु. मात्र)

## सम्पादकीय

[ इंजी. अमरनाथ त्यागी ]

( अगस्त क्रान्ति के अग्रदूत एवं अमर स्वतंत्रता संग्राम )  
सेनानी परसराम और उनके साथी



परसराम सोनी

‘परसराम सोनी सात वर्ष सख्त कैद, गिरिलाल आठ वर्ष, का कारावास, देवीकान्त झा एक वर्ष, दशरथ चौबे एक साल सख्त कैद, सुधीर मुकर्जी दो वर्ष सश्रम कारावास, भूपेंद्र नाथ मुखर्जी तीन वर्ष सख्त कैद, क्रांति कुमार दो वर्ष की कड़ी सजा, सुरेंद्र नाथ दास एक वर्ष, रणवीर सिंह शास्त्री डिटेन्शन में वह भी महीनों का,

सजाओं और कारावास का लम्बा सिलसिला’ रायपुर षडयंत्र केस आखिर था क्या? यह कब हुआ? कैसे और क्यों हुआ जिसमें उक्त साथियों को 27 अप्रैल 1943ई. को स्पेशल जज रायपुर ने दंडित किया? अगस्त आंदोलन समाप्ति के बाद भी जो लगातार पूरे नौ माह तक चला था और जिसमें जेल के भीतर सात विशेषज्ञों की साक्ष्य ली गई, तथा कुल 171 सरकारी गवाहों के बयान हुये। उक्त प्रकरण का अगस्त 42 के आंदोलन से कितना गहरा संबंध था? आदि दर्जनों सवाल हैं जिनका खुलासा आज तक लेखकों एवं इतिहासकारों द्वारा नहीं हो सका है, जबकि जनहित में इसका खुलासा जरूरी है।

षडयंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :- विश्व विप्लवी लेनिन के अचानक निधन के बाद भारत में विश्व सर्वहारा समाजवादी सशस्त्र क्रांति का जो तानाबाना, शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद एवं शहीदे आजम भगतसिंह द्वारा बुना जा रहा था, 27 फरवरी 1931 ई. को आजाद की अचानक शहादत तथा 23 मार्च 1931 ई. को भगत सिंह व उसके साथियों-राजगुरु और सुखदेव को फांसी के बाद, छिन्न-भिन्न हो गया था। अंग्रेज भी निश्चिन्त होकर भारत में अपना शासन स्थायी बनाने के उद्देश्य से पूँजीवादी सुधारवादी कांग्रेस तथा मुस्लिमलीग के सहयोग से सन् सन् 1935 ई. में नया भारत का संविधान अस्तित्व में लाये। जिसके अंतर्गत केंद्र में संघ सरकार की स्थापना की योजना थी। कुछ लोगों ने अरविन से मिलकर भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी के फन्दों तक पहुँचाया था। जिन लोगों ने सन् 1934 ई. की बम्बई कांग्रेस में घोषणा की थी कि वे सत्य, अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर आजादी प्राप्त करेंगे। उनके प्रस्ताव का विरोध जब राजर्षि टण्डन जैसे दिग्गजों ने किया और वह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया तो उन्होंने सदा के लिए कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। फिर भी प्रांतीय सभाओं के चुनाव में आठ राज्यों में कांग्रेस को विजय मिली, क्योंकि कांग्रेस का निर्णय था कि वे संविधान को भंग करने के लिए चुनाव में भाग लेंगे। किन्तु चुनावों में जीत होने पर उन्होंने मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की तो उसे 'दिल्ली के मुगलों का निर्णय' संज्ञा देकर रफी अहमद किदवई ने घोर विरोध किया। गवर्नर द्वारा काकोरी काण्ड के अभियुक्तों की रिहाई न होना से पन्त ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया तब कहीं जाकर गवर्नर को



झुकना पड़ा और क्रांतिकारी साथी छूटकर बाहर आये जिनका अभूतपूर्व स्वागत आम जनता द्वारा किया गया था। युद्ध के आर्थिक कुप्रभाव से श्रमित शोषित आम जनता की मुसीबतें बेहद बढ़ती जा रही थीं, जनता क्रांति की ओर उन्मुख हो रही थी। 12 जून 1942 ई. को रास बिहारी घोष द्वारा आजाद हिन्द फौज के गठन की घोषणा होते ही जनक्रांति की भावना राष्ट्रीय स्तर पर फिर इतनी बलवती हो उठी कि उससे भारत का हृदय प्रदेश एमपी भी अछूता न रहा। अंग्रेज शासकों एवं देशी रियासतों के दोहरे शोषण जुल्म एवं अत्याचारों से गिरिजनों वनवासियों एवं आम जनता में भीषण असंतोष व्याप्त था। जन-जीवन में त्राहि-त्राहि मची थी, बचाने वाला कोई नहीं था। फिरभी कहीं विरोध का स्वर फूटा तो उसे बेरहमी से कुचल दिया गया। प्रदेश के शान्त निश्छल एवं नीरव कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ संभाग की धरती की कोख में एक भीषण ज्वाला धधक रही थी किन्तु प्रदेश में विप्लवी आंदोलन एवं नेतृत्व के अभाव में केवल गांधीवादी कांग्रेसी ही यदा-कदा व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में कुछ छिटपुट भड़ास निकाल रहे थे। ऐसे ही संक्रमण काल में प्रदेश की राजधानी रायपुर में आज से 64 वर्षों पूर्व 15 जुलाई 1942 ई. को छत्तीसगढ़ के राजनैतिक क्षितिज पर एक ऐसा धमाका हुआ कि सारा जनमानस सक्ते में आ गया। सन् 1942 ई. जुलाई माह तक संभाग अथवा समूचे देश में कहीं भी 'अंग्रेजों भारत छोड़ो-करो या मरो' जैसे नारे अथवा आंदोलन का नाम-निशान तक नहीं था। अभी तक जितने भी षडयंत्र जहाँ भी देश में अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे, सभी असफल ही रहे क्योंकि हमारे देश में जयचंदों-मीरजाफरों

जैसे देशद्रोही गद्दारों की कमी न गुलाम भारत में थी और न आज है। पेटपालू नौकरी के लिए चंद चांदी के टुकड़ों पर बिकने वाले मुखबिरोँ गद्दारों के कारण ही आज तक न जाने कितने ज्ञात-अज्ञात देशभक्त क्रांतिकारी सपूत लाठी, गोली, फांसी, और जेलों में लम्बी यातनाओं के शिकार हो चुके हैं। अगर छत्तीसगढ़ संभाग में विश्व सर्वहारा समाजवादी सशक्त क्रांति और अगस्त सन् 1942 ई. को जब क्रांति के अग्रदूत साथी परसराम सोनी, अपने ही एक जिगरी बचपन के साथी गद्दारी एवं विश्वासघात के शिकार हुये, तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं।

साथी परसराम सोनी की शिक्षा-दीक्षा यद्यपि रायपुर में ही हुई थी। गरीबी के कारण लारी स्कूल से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कर सेंटपॉल से 1938 में हाईस्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी किन्तु उनके अन्य साथी सुधीर मुकर्जी एवं निखिल सूर से उनका संबंध निरन्तर बना रहा। शहीद चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह व उनके साथियों ने देश में समाजवादी क्रांति की जो मशाल प्रज्वलित की थी, उससे सोनी जी भी कम प्रभावित न थे। वे बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आ चुके थे। भारत में अंग्रेजी राज और बंदी जीवन के निषिद्ध साहित्य ने तो उनका कायाकल्प ही कर दिया और वे शहीदों की कतार में आ गये। वे न केवल बम बनाना और पिस्तौल चलाना ही सीख गये अपितु उन्होंने अपने को उस विप्लवी दर्शन से भी लैस किया जिससे शहीद भगत सिंह और उनके अन्य साथी भी प्रेरणा लेते थे। उनके लिए गांधीवाद एक सुनहरा सपना ही था। भारत के किसान बम-पिस्तौल की खेती क्यों नहीं करते? भगतसिंह की इस जिज्ञासा को धान के कटोरा



कहीं जाने वाली छत्तीसगढ़ की उर्वरा मिट्टी में, उन्होंने बम और पिस्तौल की खेती करके दिखा दिया। साथी परसराम सोनी की शहीद भगत सिंह के प्रति इससे बढ़कर क्या श्रद्धांजलि हो सकती थी, जिन्होंने असंभव को भी संभव करके दिखा दिया और भगत सिंह की मुराद को पूरा किया। जीवन-पर्यन्त उन्होंने क्रांतिकारियों की भांति अपनी कुरबानी का कोई लाभ नहीं उठाया। उन्होंने अपने कर्तव्य की पूर्ति पूर्ण निःस्वार्थ भाव से की। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनकी अमर स्मृतियाँ शेष हैं।

हमारी अर्थात इंजी. अमरनाथ त्यागी एवं अवध नारायण त्रिपाठी की मुलाकात साथी परसराम सोनी से उन्हीं के निवास पर 25 दिसम्बर 1996 ई. को हुई थी। सप्रेम भेंट के रूप में दी गई उनके द्वारा हस्तलिखित सन् 1967 ई. की आत्मकथा आज भी हमारे लिये प्रेरणाश्रोत है। उन्हें पता था कि बिना क्रांतिकारी सिद्धान्त के कोई क्रांतिकारी आंदोलन सफल नहीं होता। क्रांतिकारी पार्टी ही क्रांति का नेतृत्व करेगी फिर भी उन्होंने अपनी सीमित शक्ति को असीम के हवाले कर मातृभूमि का ऋण चुकाया। छत्तीसगढ़ की माटी के अमर सपूत परसराम सोनी और उनके साथियों की जितनी आवश्यकता आज है उतनी पहले कभी नहीं थी। हृदय की गहराइयों से हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 'भारत के अमर विप्लवी शहीद' शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद एवं उनके परम सहयोगी शहीदे आजम सरदार भगत सिंह और अन्य तमाम साथी भले ही अपने क्रांतिकारी प्रयास में सफल नहीं हुये, किन्तु उन्होंने अपने अकूत साहस, त्याग एवं बलिदान से देशभक्ति और समाजसेवा का जो अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है वह उनकी शहादत के आठ दशकों बाद भी आज जो प्रेरणा नवयुवकों को दे रहा है उसका कोई मुकाबिला नहीं।

छत्तीसगढ़ के अमर सपूत क्रांतिकारी परसराम सोनी ने उन्हीं की प्रेरणा से उनके बताये पथ पर चलकर न केवल क्रांतिकारी परम्परा को जीवन प्रदान किया अपितु उसे आगे भी बढ़ाया जिसके लिये वे विशेष प्रशंसा के पात्र हैं। एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होकर जिस संयम साहस लगन दिलेरी के साथ आर्थिक तंगी झेलते हुए निःस्वार्थ भाव से क्रांतिकारी मिशन को उन्हीं आगे बढ़ाया। हर क्षण जीवन को जोखिम में डालते हुये और क्रांतिकारी सूझबूझ पर कायम रहते हुए उन्हीं रिवाल्वर बनाना बिहार के गिरिलाल से सीखा। लगातार अभ्यास से गोली बनाना और बम बनाना तो उन्हीं घर पर स्वयं ही सीख लिया था और उसमें ऐसी महारत हासिल कर ली थी कि अंग्रेज दुश्मन भी दातों तले उंगली दबाने को विवश हो गये। विभिन्न प्रकार के बमों का बनाना उनके बाँये हाथ का खेल था। उनका सफल परीक्षण भी वे रायपुर में ही रहकर समय-समय पर विशेष स्थानों जैसे ईदगाह मैदान, राजकुमार-कॉलेज, महाराजबंद तालाब, शीतला मंदिर, बूढ़ा तालाब आदि पर करते रहे। पोजीशन बम तो कमाल का ही था जो टाइम बम से भी ज्यादा उपयोगी और खतरनाक था। क्रांति के सारे गुरु मंत्रों को उन्हीं अपने विभिन्न साथियों से सीखा और अन्यो को सिखाया भी। द्वितीय विश्व महायुद्ध सन् 1939 ई. में आरंभ हो चुका था। सन् 1936-37 से ही सोनी और उनके साथियों के दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि उन्हें शोलों को राख के अंदर से निकालकर फिर से प्रज्ज्वलित करना है। नव-जवानों में नई चेतना लाना है। क्रांतिकारियों के लक्ष्य को पूरा करने हेतु क्रांतिकारी आंदोलन को फिर से सक्रिय रूप देना है। उन्हें यह भी पता था कि बिना सक्षम क्रांतिकारी दल और नेतृत्व के सफलता संभव नहीं। फिर उन्हीं जिस सूझबूझ से कार्य शुरू किया था सचमुच उसमें वे काफी सफल रहे



## श्री सरस्वती-वंदना

जयति जयति माँ शारदे अम्बे, सरस्वती माँ जय जगदम्बे ॥  
कुन्द पुष्प हिम चन्द्र हार सम, शुभ्र वसन और देह सुवासित ।  
कर में शोभित उत्तम वीणा, श्वेत कमल पर रहे विराजित ॥  
ब्रह्मा-विष्णु-महेश आदि सब, करें देव नित तेरी पूजा ।  
पल में जो हर ले जड़ता को, तुम सम नहीं विश्व में दूजा ॥  
वीणावादिनी, हंसवाहिनी, कृपा-छत्र दो भगवती अम्बे ॥जयति॥

मधुर मंद मुस्कान तुम्हारी, शरद ऋतु का चन्द्र लजावे ।  
देहलता आभा के सम्मुख, सागर क्षीर भी दास कहावे ॥  
पद्मासन पर रहे विराजित, सुन्दर मुख मण्डल हरषावे ।  
चरण-कमल की करें वन्दना, 'अमरनाथ' अब दास कहावें ॥  
ज्ञान प्रदायिनी, कमल लोचने, कंठवासिनी वर दे अम्बे ॥जयति॥

✽

## श्री गुरुचरण-वंदना

अज्ञान तिमिर जो नाश करें, नव-दृष्टि शिष्य को देते हैं ।  
सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम् के, जो ललित भाव भर देते हैं ॥  
जो सघन ज्ञान के मूर्त रूप, हरि-कृपा-स्रोत दिखलाते हैं ।  
उन कृपा सिंधु गुरु-चरणों में, हम शत् शत् शीश नवाते हैं ॥

किन्तु एक छोटी सी भूल का बड़ा ही भयंकर परिणाम हुआ। संगठन का एक सूत्र में बंधकर पूर्णता की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक खुफिया नरेंद्र सिन्हा ने परसराम सोनी के ही बचपन के साथी शिवनन्दन को अपने जाल में फाँस लिया। उसका मकान सोनी के मकान से लगा ही था। पुलिस से उसकी साठगांठ हो गई। उसने मुखबिरी शुरू कर दी। संगठन शक्ति संचय में ही लगा था कि अचानक 15 जुलाई 1942 ई. को 11 बजे परसराम सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री सोनी और उनके साथियों को पता था कि वे स्वराज नहीं ला सकते थे। किन्तु उन्हें इस बात का पूरा आभास था कि निकट भविष्य में अवश्य ही एक राजनैतिक आँधी चलने वाली है। और उसी का लाभ उठाकर छत्तीसगढ़ के नवजवान संसार को दिखा देंगे कि उनमें दिल दिमाग किसी से कम नहीं। छत्तीसगढ़ के इस निष्प्राण से प्रदेश में जन-जागृति की जन क्रांति में खुलकर भाग लेने का सुअवसर संभाग के क्रांतिकारी युवा साथियों को मिला होता तो सचमुच प्रदेश ही नहीं सारे राष्ट्र का इतिहास कुछ और ही होता।

विप्लवी नेतृत्व का गठन एवं विकास आज वक्त की पुकार है। आइये आज ही हम सब मिलकर फिर एक बार विप्लवी शहीदों के अधूरे लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प ले। यही हमारी उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज 3 अगस्त 2010 ई. को उनकी जयंती है।

बसंत पंचमी

संवत् 2067

अवध नारायण त्रिपाठी

[श्रद्धांजलि सभा से सभार]



## रायपुर षडयंत्र केस - 1942

प्रस्तावना -

बहुत संभव है कि इस चौंका देने वाले शीर्षक को पढ़कर प्रश्नमयी दृष्टि में एक स्वाभाविक उत्सुकता और जिज्ञासावश आप जानना चाहेंगे कि “यह रायपुर षडयंत्र केस आखिर है क्या ? यह कब हुआ ? कैसे हुआ ? कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे ? और इसका उद्देश्य क्या था ?” कुछ अन्य प्रश्न भी प्रश्नों की इस श्रृंखला में जुड़ सकते हैं।

जानना चाहते हैं कि आपके नगर से सम्बद्ध यह षडयंत्र केस क्या है ? इसे “षडयंत्र केस” नाम से ही क्यों अभिहित किया गया ?

“अनकही कहानी” की भांति यह भी अपने रायपुर शहर में बरसों पूर्व घटित एक सत्य किन्तु अविश्वसनीय सी प्रतीत होने वाली घटना का कुछ अनकहा अनदेखा अध्याय है, जिसकी स्मृति के पुनर्जीवन के लिए स्वतंत्र आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में गुप्त सशस्त्र क्रांति के इतिहास के पृष्ठों में कुछ झांकना पड़ेगा। संभव है अभी भी कुछ लोगों की स्मृति के किसी कोने में क्रांति ज्वाला के इस लघु किन्तु प्रखर प्रदीप्त स्फुलिंग की चमक कौंध जाए।

परसराम सोनी 7 वर्ष सख्त कैद, गिरिलाल 8 वर्ष कड़ी सजा सश्रम कारावास, देवीकांत झा 1 वर्ष, दशरथ चौबे एक साल सख्त कैद, सुधीर मुखर्जी दो वर्ष सश्रम कारावास, भूपेन्द्र नाथ मुखर्जी 3 वर्ष सख्त कैद, क्रांति कुमार 2 वर्षों की कड़ी सजा, सुरेन्द्रनाथ दास एक वर्ष, रणवीर सिंह शास्त्री डिटेन्शन में वह भी महीनों का डिटेन्शन, सजाओं और कारावास का लम्बा सिलसिला ।

आखिर क्या थी वह घटना, वह नाटक जिसका मंगलाचरण पिस्तौल और बारूद की आग और पटाक्षेप - सुदीर्घ सश्रम कारावास की सजाओं से हुआ ? क्या ये लोग विवेकहीन दीवाने थे ? नहीं ।

उस क्रांति यज्ञ के अनेक नेता, उस नाटक के अधिकांश पात्र आज भी आपकी नजरों के सामने जीते जागते, आपके साथ उठते बैठते, दुर्व्यवस्था में या सुव्यवस्था में डूबते उतारते हैं। उन सबका जुर्म एक ही था यदि उसे जुर्म कहा जाय। छत्तीसगढ़ का शांत नीरव, निश्छल अंचल - कहना चाहिये कि कुछ लोगों की राय में यह पिछड़ा अंचल, जहां से टाटा कारखाने के मजदूर और चाय बागान के कुली ही निकलते थे, क्यों बेचैन हो उठा?

यह उन लोगों की युवावस्था का विवेकहीन उन्माद मात्र ही नहीं था जिसे "षडयंत्र" नाम दिया गया, तत्कालीन सरकार और उसकी गुलाम नौकर शाही द्वारा ।

यह कुछ आदर्शों से अनुप्राणित और एक विकट कृतित्व के रूप में फुटकर उभरा हुआ विद्रोह था ।



इन लोगों में कुछ अविवाहित थे, कुछ विवाहित और कुछ ऐसे भी थे जिनका विवाह हुए कुछ दिन हुए थे। सभी युवक थे और शब्द की सम्पूर्ण सच्चाई में युवक थे। सभी लोगों के अपने घर परिवार थे, सुख-दुःख थे, अपने राग-विराग, माया मोह के बन्धन थे जिसमें चाहते तो पूर्णतया रस बस-जाते- किन्तु उन्होंने सब कुछ त्याग मोह वृत की परिधि से बाहर आकर, क्रांति के अनिर्वचनीय गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर और वे उसी आवर्त में अहर्निश घूमने लगे।

किसी की देखा सीखी नहीं - गतानुगतिकता भी नहीं, शौर्य प्रदर्शन की उद्दाम उच्छृंखलता भी नहीं। वे बेकार भी नहीं थे कि आवारागर्दी का हुजूम बन जाता - वे सभी शिक्षित तथा समझदार थे तथा किसी के भी मन में यशोलिप्सा अथवा सुखरू होने की चाह लेश मात्र भी नहीं थी। एक आदर्श का आलोक सबके भीतर था। सभी क्रांति के प्रति एक उन्माद पूर्ण लगाव के बजाय - विवेक प्रक्षालित जीवन दृष्टि रखते थे, जो राग-विराग का नियमन करती है और साथ ही वे यह भी जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं।

इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी और इसके सम्भाव्य परिणामों की परिकल्पना भी उनके मन मस्तिष्क में पूरी तरह थी।

- कामयाबी और नाकामयाबी को नापने का पैमाना कभी शाश्वत और एक सा नहीं रहा। किसी भी महत् आयोजन का मूल्यांकन तभी होता है जब वह कुछ अतीत का अंश हो जाता है। और उसके अनिवार्य परिणामों की लम्बी छाया कुछ दूरी घेरती

है। इतिहास मात्र युद्ध, विजय, पराजय अथवा शांति का नहीं होता है, अपितु प्रवृत्ति एवं प्रकृति का भी होता है। सार बात होती है। एक युगीन, प्रबलतम कार्यकारी शक्ति की पहिचान। सफलता-असफलता पर ही दृष्टि रखता है और तदनुसार मूल्यांकन भी करता है किन्तु उद्देश्य और अध्यवसाय में छिपी निष्ठा, लगन शीलता और उस दरम्यान सही भोगी जाने वाली पीड़ा, वेदना तथा कष्टों को भगवान ही जानता है।

उसी कुछविस्मृत कुछ अनदेखी घटना को यहाँ लिपिबद्ध किया है- उन्ही क्रांतिकारियों में एक "सजायासा" सुदीर्घ-अवधि तक सजा काटने वाले श्री परसराम सोनी ने जो अधिकांश अर्थों में उस दल के विस्फोटक विशेषज्ञ एवं प्रयोक्ता दोनों ही एक साथ थे। उन्होने "बम" की फिलासफी का सूक्ष्म अध्ययन किया और बताया भी। चिंतन की घड़ियों को क्रिया से तौलने - की प्रतिक्रिया में निपुण हो गये किन्तु "वाणी से बोलने" की प्रवृत्ति में बहुत पीछे रहे। वैसे तो किसी कर्मनिष्ठ क्रांतिकारी का "मौन" बोलने की अपेक्षा कुछ अधिक खतरनाक भी होता है।

इस वृत्तान्त की प्रस्तावना लेखन के समय लेखक ने मुझसे एक बात और स्पष्ट करने का साग्रह अनुरोध किया था। वह यह कि परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में घटनाओं की अधिकता भी बहुत कुछ प्रभावित होती है। आत्म कथा पूरक शैली में या संस्मरणात्मक शैली विषयगत शैली की सी निस्संगता या वैयक्तिक निस्संगता पर्सनल डिटेचमेंट बहुत अंशों में नहीं आ पाती। - ऐसा होना संभव भी नहीं क्योंकि लेखक स्वयं भी घटना क्रम से असम्पृक्त नहीं था। फिर भी लेखक ने लिखते समय आत्मावलोन

के साथ घटना क्रम के साथ गुथे हुए व्यक्तित्व और कृतित्व का निष्पक्ष ढंग से मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। यह मूल्यांकन भी इसलिये कि वह अनिवार्य हो गया था। किसी की चरित्र हत्या या इमेजडिस फिगर करना अथवा विकृत रूपांकन करना उसका उद्देश्य कदापि न था। ऐसे स्थलों पर उसने अपने को अधिक निस्संग या असम्पृक्त रखने की बात कही है। हाँ, रातोंरात रायबहादुरी के खिताब को “अलविदा” कहकर स्वराज्य की सुबह की पहली किरन के साथ ही चकाचक सफेद गांधी टोपी पहिनकर स्वतंत्रता के समर्थन का नारा लगाने वाले रंगे सियारों अथवा अपने शरीर में दूसरों के जख्मों का लहू लगाकर शहीदों में शामिल होकर सहादत के गौरव की खैरात लूटने वालों के प्रति एक तपोनिष्ठ क्रांतिकारी के भाव कुछ खीज के साथ भी हों तो आश्चर्य नहीं।

राजनैतिक श्रेय और राजनीति - पीड़ित पोलिटिकल सफरर्स को मिलने वाले लाभ के लूट की गर्म बाजारी में मतलब गांठने वालों, दूसरों की चिताओं पर स्वार्थ की रोटियां सेंकने वालों, प्रथम श्रेणी के कारावास में कुछ ही समय के लिये बड़े आराम से सजा काटने वालों को क्या कहा जा सकता है ? “त्याग” को “लाभ” के रूप में इन भुनाने वालों का कुछ पर्दाफाश भी प्रसंगवश हो गया हो तो यह लेख का सात्विक रोष ही होगा। इस घटना क्रम के वर्णन से कुछ नये अध्याय भी खुलेंगे, कुछ प्रतिष्ठित लोगों का नवीन रूप भी सामने आयेगा। लेखक ने इसके लिये हार्दिक क्षमायाचना भी की है। मुझसे वार्तालाप के दौरान प्रसंगवश किया गया, लेखक का यह दावा भी कि “किसी



## रायपुर षडयंत्र केस - 1942

परिचय -

अनेक बार मेरे मित्रों द्वारा प्रेरित किया गया कि इस रायपुर षडयंत्र केस के बारे में अपने संस्मरणों के आधार पर कुछ प्रकाश डालूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आम लोगों को इसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। अतएवं इसका पूरा विवरण जनता के सामने रखना मेरा पवित्र कर्तव्य है।

मैं और मेरे सहयोगी एक मंसूबा तय कर एक मंजिल की ओर अग्रसर होने को कटिबद्ध हो चुके थे। यह तथ्य सत्य है कि हमारा दल उतना सुसंगठित न हो पाया था जितना की ब्रिटिश सरकार ने दिखाने की कोशिश की। हमारा दल एक अधखिली कली की तरह था, जिसे अपने ही लोगों ने मसल कर रख दिया। ठीक वही कहावत चरितार्थ हुई कि “मनुष्य कुछ सोचता है पर ईश्वर कुछ और ही करता है।” फिर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना था, सफलता या असफलता की तरफ देखना हमारा काम नहीं था।

हम अनुभव-हीन कम उम्र के थे। हमें उचित, समयानुकूल नायकत्व नहीं मिल सका पर इन कमजोरियों के बावजूद भी सत्य है कि अगर हम लोगों की गिरफ्तारी अगस्त 9-10, 1942 तक न होती तो अवश्य ही यहाँ एक भयंकर नजारा दिखाई पड़ता। हमारा इतिहास भी कुछ और ही होता। हममें से कितने ही शहीद होते। हम इस क्रांतिकारी आन्दोलन के यज्ञ कुण्ड में अपनी आहुति देकर कामयाब होते। हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र के निवासी गर्व से सर ऊंचा कर सकें, यही हमारी तमन्ना थी, पर हम नाकामयाब रहे।

मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व अनुभव होता है कि आज तक किसी भी क्रांतिकारी ने अपनी कुर्बानियों का नाजायज लाभ नहीं उठाया, स्वराज मिल जाने के बाद भी किसी तरह का स्वार्थ साधन नहीं किया, जैसा कि दक्षिण पंथी लोगों को चार छे माह की सजा या नजरबंदी के बदले में लाभ उठाते देखा जाता है।

एक क्रांतिकारी अपने कर्तव्य की पूर्ति निःस्वार्थ भाव से दिलेरी के साथ करता है। वह सिर्फ कर्तव्य के लिये ही जीता है - मरता है।

इस छोटी सी पुस्तिका में दल का निर्माण कब और कैसे हुआ इस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा।

मैं श्री दिनेश कुमार सिंह ठाकुर व्याख्याता कांकेर, श्रीरामदास जी शर्मा संपादक "विजयंत" तथा इंजी. अमरनाथ त्यागी का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिये प्रेरित किया।

## उद्देश्य

हम इस छोटे से दल के लोग शांत, निष्क्रिय छत्तीसगढ़ की धरती में ही पैदा हुए थे, जहाँ कभी बड़ा सा आन्दोलन, जो पूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि का हो, नहीं हुआ। क्रांतिकारी आन्दोलन के दौरान भी जो कि करीबन बंग-भंग से लगा कर अमर शहीद सरदार भगत सिंह और चन्द्रशेखर आजाद जी के समय तक चला था, इस क्षेत्र में कभी कुछ नहीं हुआ। हमें यह बात खलती थी।

हमारा यह प्रयास भी उस समय आरंभ हुआ जब कांग्रेस का ही व्यक्तिगत आन्दोलन वगैरह मामूली रूप में छिटपुट चल रहा था। क्रांतिकारी आन्दोलन भी अमर शहीद भगतसिंह व आजाद जी के बाद सन् 1933 तक शांत हो चुका था। उस वक्त सन् 1936-37 से ही हम लोगों के दिमाग में यह बात आई कि हमें फिर से शोले को राख के अन्दर से निकालकर प्रज्वलित करना है। नव जवानों में एक नई चेतना लाना है। क्रांतिकारी आन्दोलन को सक्रिय रूप देना था।

हमें अच्छी तरह जानकारी थी कि हम पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो सकते, पर हमारे आदर्श क्रांतिकारियों ने जो मशाल जलाई थी, वह समय प्रतिकूल पाकर निस्तेज सी हो गयी थी, उसे फिर से प्रज्वलित करना था। हमें तेल का काम करना था। हो सकता है, यह आग बहुत ही असरदार तरीके से फैल जाती।

## विचारों की उत्पत्ति

मैं एक गरीब मध्यमवर्गीय परिवार में पैदा हुआ। आठवीं कक्षा तक लारी म्युनिसिपल हाईस्कूल ( अब श्री माधवराव सप्रे उच्चतर माध्यमिक शाला ) में शिक्षा पाई। फिर अर्थाभाव के कारण मैं आगे न पढ़ सका। बड़ी कठिनाई से मैंने सेंट पाल्स हाई स्कूल में नवमी कक्षा में अगस्त के अंत में प्रवेश लिया।

वहीं मेरे अभिन्न मित्र श्री सुधीर मुखर्जी व श्री निखिल भूषण सूर, इन दो बंगाली विद्यार्थियों से मेरा परिचय हुआ। सुधीर बाबू नागपुर से आये थे। उन्हे ठीक से हिन्दी बोलना भी नहीं आता था। यह सन् 1935 की बात है।

उन दिनों हम लोग अमर शहीद भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारियों के बारे में तरह-तरह की बातें, जो रोमांचकारी हुआ करती थीं, सुनते थे। हमारे मन में भी एक सवाल उठता था कि क्या हम लोग भी उसी तरह देश की आजादी के लिये अपना बलिदान नहीं कर सकते ? किशोरावस्था की भावनायें बड़ी तीव्र होती हैं। वे स्थायी - चिन्ह बनाती हैं।

बंगाल के क्रांतिकारियों की कहानियां भी हम सुनते थे। लोगों में ऐसी भावना थी कि हर बंगाली बम बनाना जानता है। इसी भावना के आधार पर मैंने भी श्री सुधीर बाबू से पूछा कि बम किस तरह बनाया जाता है। उसने नाकारात्मक उत्तर दिया। पर आश्वासन दिया कि पूछकर बताएगा। हम एक दूसरे की मनोदशा को जान गये।

समय बीतता गया। सुधीर नागपुर गया और मैं उसके

लौटने की प्रतीक्षा करता रहा। वह गर्मियों की छुट्टी बिताकर वापस आया। मैंने फिर वही प्रश्न किया। उसने कहा कि प्रयत्न किया पर विधि हासिल नहीं हुई। मैंने तय किया कि अपने आप ही पर भरोसा करना चाहिए।



सुधीर मुखर्जी



निखिल भूषण सूर

सन् 1937 में कांग्रेस की वजारत मध्यप्रदेश में भी बनी उसी समय श्री युसूफ शरीफ साहब तत्कालीन शिक्षा मंत्री रायपुर आये। हम लोगों की तीव्र इच्छा हुई कि अपने शिक्षा मंत्री को देखने जायें। प्राचार्य श्री दांडेकर जी से प्रार्थना की कि स्कूल के सब विद्यार्थियों को छुट्टी दी जाये। ताकि हम लोग शिक्षा मंत्री के दर्शन कर सकें। पर प्राचार्य ने इंकार कर दिया। इस पर हम लोग सब अपने-अपने कक्षा से बाहर आ गये और 'स्ट्राइक' कर दिया गया। सुधीर बाबू के नेतृत्व में हम सब टाउन हाल गये।

मंत्री महोदय बंद हाल में निमंत्रित व्यक्तियों के बीच बोलने वाले थे। सुधीर बाबू ने मंत्री की कार रोक ली और बाहर आकर जनता के सामने भाषण देने का आग्रह किया। मंत्री महोदय झट मान गये। उन्होंने बाहर ही जनता को सम्बोधित किया। लोगों में हर्ष फैल गया। पहिले उन्हें निराशा थी कि मंत्री महोदय हाल के अन्दर ही बोलेंगे। दूसरे दिन प्राचार्य जी ने कोई कार्यवाही हम लोगों पर नहीं की।

सन् 1938 में हम लोग मैट्रिक पास हो गये। सुधीर बाबू



साइंस कालेज नागपुर चले गये। निखिल सूर इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम सीखने कलकत्ता चला गया, मैं आगे पढ़ने में अर्थाभाव के कारण बिल्कुल असमर्थ था, अतः मैं यहीं रहा।

मैं बेकार रहा कारण कि नौकरी उस ब्रिटिश सरकार की करना मुझे मन्जूर न था। साथ ही गरीबी ने और भी झकझोर दिया। उसी वर्ष मेरा विवाह कर दिया गया। मैं एक सज्जन पं. रामचन्द्र शर्मा पुरानी बस्ती, रायपुर का बड़ा आभार मानता हूँ। उन्होंने मुझे दो अप्राप्य जप्तशुदा, किताबें दीं। एक तो भारत में अंग्रेजी राज्य, दूसरी श्री शच्चीन्द्र नाथ सन्याल की लिखी "बंदी जीवन"। काकोरी षडयंत्र केस की थी। मैंने इन दोनों पुस्तकों को आद्योपांत पढ़ा, पढ़कर जो प्रतिक्रिया दिल और दिमाग पर हुई वह प्रत्यक्ष रूप से मेरे प्रयत्नों के रूप में सामने आई। कोई भी भारतीय इन पुस्तकों को पढ़कर विद्रोही बन जाय तो कोई आश्चर्य नहीं। अंग्रेजों और अंग्रेजी राज के प्रति घृणा और उन्हें देश से मार भगाना ये उसके अवश्य भावी परिणाम थे।

### प्रयत्न



हारीलाल सानी

इस संसार में बगैर पैसे के कोई कार्य चल ही नहीं सकता और यही कठिनाई हमारे सामने भी थी। इन दोनों मित्रों के बाहर चले जाने पर मैं अकेला ही यहाँ रहा। मन में यह तय कर लिया कि मुझे कुछ करना है। इस उद्देश्य को सामने रखकर शक्ति संचय करने के प्रयत्न शुरू कर दिये। सूर बाबू से मैंने कुछ रसायन-शास्त्र की बी.एस.सी. और एम.एस.सी. कोर्स की किताबें ले लीं

थीं। उनको खूब पढ़ा, समझा, मनन किया। मेरा एक मित्र होरीलाल जो कि सी.पी. मेडिकल स्टोर्स का कर्मचारी था, बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ। वह मुझे आवश्यकतानुसार तमाम रासायनिक पदार्थ लाकर देता था। श्री गैन्द सिंह जी ठाकुर जो एंग्लोबर्नाकुलर मिडिल स्कूल के हेड मास्टर थे, अपने स्कूल की प्रयोग शाला से रासायनिक पदार्थ देने को कहे थे। मैंने, अपने ही घर में एक छोटी सी प्रयोग शाला बना ली थी।

सन् 1940 के बाद सुधीर बाबू के मामा श्री बी.एन. बैनर्जी, जो एक बड़े ही कर्मठ कांग्रेसी थे, का देहान्त हो गया। इससे सुधीर बाबू को भी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। वह डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में क्लर्की करने लगा। सूर बाबू भी कलकत्ते से आ गया। मैं उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट बनाने में सहयोग देता था। पर उसमें उसे सफलता नहीं मिली। फिर उसने चाय की एजेन्सी ले ली और अपना कार्य चलाता रहा।

मैं रायपुर के बड़े-बड़े कारखानों में जाता था। धीरे से उन्हें अपना हमदर्द बनाना था। मेरा उद्देश्य उन्हें मालूम हो जाने पर वे खुले दिल से पूरी मदद करते थे।



गिरीलाल मुंगिल

रिवाल्वर बनाना मैंने बिहार के खानदानी लुहार श्री गिरीलालजी से सीखा। गोली बनाना भी उसी ने मुझे बताया। वे बहुत ही कुशल कारीगर थे। वैसा कारीगर आज तक देखने में नहीं आया। उसकी शारीरिक बनावट व उसकी कारीगरी को देखकर लोगों को आश्चर्य होता था कि वह दुबला-पतला नब्बे पाँड वजन का आदमी इतनी कुशलता से कैसे कार्य

करता है। स्वयं श्री जे.डी.केरावाला न्यायाधीश उसे देखकर हंस पड़ा - पुलिस के इल्जाम पर कि यह सख्खा पिस्तौलें बनाता है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि जब मुकदमें में गवाही देने जबलपुर से एक अंग्रेज विशेषज्ञ आया था। उसने कहा इट इज पिटी दैट सच परसन्स आर सेन्ट टु जेल। इन माई कन्ट्री दे आर आनर्ड। अर्थात् यह एक दयनीय बात है कि ऐसे लोग जेल भेजे जा रहे हैं। मेरे देश में इनकी इज्जत की जाती। इस अंग्रेज के मुंह से इन शब्दों को सुनकर हमें तो बड़ा गर्व अनुभव हुआ। पर उस हिन्दोस्तानी जज महोदय के मन में क्या असर हुआ हम नहीं कह सकते। न्यायधीश ने प्रसंग को झट बदला और उस पकड़े गये रिवाल्वर के गुण-दोष के बारे में पूछने लगा। उसने तपाक से उत्तर दिया कि इट इस ए डिफेक्टलेस आर्म अर्थात् यह एक त्रुटि विहीन हथियार है। श्री गिरीलाल चटगांव शस्त्रागार कांड के समय भी चटगांव में ही रहता था। वह वहां क्रांतिकारियों को पिस्तौलें बना बनाकर देता था। उसी ने मुझे श्री सूर्य सेन का नाम बताया था वहीं नेता था। तथा कई दिलचस्प बातें भी बताता था। उसका संबंध उन दिनों चटगांव के क्रांतिकारियों से भी था।

उन दिनों हमारे देश के लोगों में देश-प्रेम की कमी नहीं थी। सब के मन में यही बात थी कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाय। यही कारण था कि पूरे चार वर्ष तक मैं बगैर पैसे के अपने प्रयोग करते रह सका। हर आदमी सहायता करने को तैयार था चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो भले ही आपत्ति पड़ने पर वह अपनी कमजोरियों के कारण सरकारी गवाह बन गया हो। यह दिलेरी व जोश जो लोगों के हृदय में था वह गांधी जी के

आंदोलन के कारण था, ऐसी बात नहीं है। यह जोश हमारे दिलों में पैदा करने वाले अनेक क्रांतिकारी जैसे अमर शहीद सरदार भगतसिंह, आजाद, सुखदेव, राजगुरू जी इत्यादि की शहादत थी।

हर आदमी की जबान पर इन वीरों का नाम था। गांधीवादी आन्दोलन से देश में जागृति अवश्य आयी। “स्वराज्य” शब्द से गांव-गांव के लोगों को परिचय अवश्य हुआ। पर दृढ़ता, दिलेरी, बलिदान इन महान क्रांतिकारियों से पायी।

हाँ तो मेरा संबंध विशेषकर दो-चार कारखानों से हो गया था। जैसे आर.एम.ई. वर्क्स ( दामजी का मोटर कारखाना ) रायपुर फ्लोर मिल के मैनेजर श्री शंकरलाल ठक्कर जो कच्छ के निवासी थे तथा सरदार दिलबाग सिंग टर्नर, उन्होने मुझे बहुत सहायता निःस्वार्थ भाव से दी थी। अपने ऊपर खतरा मोल लिया। मेरी गिरफ्तारी के बाद शंकरलाल जी कटक की ओर तथा दिलबाग सिंग सीनी की ओर खिसक गये। दामजी के कारखाने में श्री सुरेन्द्र नाथ दास बूढ़े सज्जन जिनकी करीब साठ वर्ष की अवस्था रही होगी और एक गुजराती सज्जन चुन्नीलाल जी थे। एक बी.एन.रेल्वे का कर्मचारी श्री अमृतलाल अवस्थी जो मोटर ट्राली मेकेनिक था, रेल्वे के कारखानों से मेरा काम कराकर लाता रहा। वह भी गिरफ्तारी से बचने के लिए अनूपपुर की ओर चला गया। बाद में सन् 1954 में एक बार इलाहाबाद जाते समय उनसे मुलाकात भी हुई थी। इस तरह कुछ अंशों में मेरी तमाम जरूरतें पूरी होती रहीं। पैसा मुझे कुछ सज्जन देते रहे जैसे श्री गोवर्धन राम वर्मा छुई खदान निवासी। जब भी वे रायपुर आते

मुलाकात करते, दस पांच रूपया दे जाते। वे बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। एक मेरा साथी था लाल समर सिंग बहादुर देव, जो सरगुजा के राजवंश से संबंधित रहा है, मुझे पैसों से मदद करता रहा। बाद में वह सरकारी गवाह बन गया। यह सब कार्य लोगों के हृदय में बिना देश प्रेम के चलना असंभव था।

मैं अपने घर पर ही रिवाल्वर बनाता, गोलियां बनाता, गन काटन वो नाइट्र - ग्लेसरीन बनाता, बम बनाने की क्रिया शनैः शनैः करता। मैंने कई प्रकार के बम बनाना स्वतः ही इजाद कर लिया। जैसे पटकने के एक मिनट बाद विस्फोट होना, टाइम-बम, क्लोरोफाम-बम, आग लगाने वाला बम, धुंआ पैदा करने वाला बम इत्यादि। इनके अलावा मेरा एक विशेष प्रकार का बम था। वह आतंक फैलाने के लिये बहुत उपयोगी था। मैंने उसे "पोजिशन-बम" का नाम दिया था। मतलब यह कि वह कितनी भी अवधि तक एक स्थिति में रखा जाय, न फूटता था, पर अगर उसकी स्थिति में थोड़ी बदली हुई कि विस्फोट हो जाता था। मेरा इससे यह अभिप्राय था कि एक ही आदमी अनेक जगह इस तरह के बम उन अंग्रेज-अफसरों व उनके हिमायतियों के दरवाजों पर रखकर सुतली से दरवाजों से बांध देता। उस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी जैसे ही दरवाजे खुलते जाते, विस्फोट भी होते जाते। निश्चित ही एक आदमी इतने स्थानों पर विस्फोट कर ही नहीं सकता ऐसा सरकार मानती, ऐसी मेरी समझ थी। मौके पर प्रयोगकर्ता के रहने की बिल्कुल आवश्यकता न थी।

लिफाफों के अन्दर फुलमिनेट पाउडर चिपकाकर पोस्ट-आफिस वालों को डराने की योजना थी। अनेक स्थानों पर एक



ही समय आग लगायी जा सकती थी। काफी दूरी से ट्रेन का खास डिब्बा खास वक्त पर उड़ाया जा सकता था। यह बैटरी से चलाया जाता। यह भी मालूम कर लिया था। साइंस में बड़ी शक्ति है। अगर ईश्वर है तो हो सकता है कि उसकी शक्ति ही सर्वोपरि हो। उसके बाद विज्ञान ही ताकत है। आजकल हमारे बच्चों को विज्ञान की सही तालीम नहीं दी जाती। उसका परिणाम यह है कि आज बीस वर्ष की आजादी के बाद भी देश ने कितने वैज्ञानिक पैदा किये ? आपको जरूर निराशा होगी।

मेरा लक्ष्य था कि यहीं से जो भी कच्चा माल मिल सकता हो, सब चीजों की पूर्ति यहीं से हो। बाहर हमें मुंह ताकना न पड़े। इसी दृष्टिकोण से मैं सब चीजों का ज्ञान सोचकर धीरे-धीरे करता और बनाता रहा। मुझमें अटूट लगन थी। अदम्य उत्साह था।

## प्रयोग

पूरे चार वर्षों तक मैं इन सबका प्रयोग करता ही रहा। कभी असफल होता तब उसका कारण ढूंढता। सफलता मिलने पर बड़ा ही आनंद आता, उत्साह बढ़ता जाता था। प्रयोग करने के पहिले मैं अपने साथियों विशेषकर श्री सुधीर मुखर्जी से डिसकस कर लेता था। सुधीर भी विज्ञान का छात्र था।

प्रयोग के समय में अपने साथ एक साथी या अपना हितैषी अवश्य रखता था। श्री श्याम सुंदर अग्रवाल व श्री गोपालराव, जो प्रख्यात गायक हैं, एक अवसर पर मेरे साथ थे। यह सफल प्रयोग हमने रावण-भाठा के एकांत स्थान में किया।

दूसरे प्रसंग में यही दोनों मित्र मेरे साथ थे। इसे मैं ईदगाह के मैदान में रात के करीब 7.30 या आठ बजे किया। उसका रूप कुछ बड़ा जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट पूर्ण सफल व असरदार था।

उसी समय राजकुमार कालेज के अंग्रेज प्रिंसिपल पीयर्स साहब की कार कालेज की ओर जा रही थी। साहब ने विस्फोट की गंभीरता को देखा व सुना। उसने कार दूर में ही रोक ली। उतर कर चारों तरफ घूम-घूम कर विस्फोट के स्थान को देखा, फिर कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी हिम्मत सड़क पर से जाने की नहीं हुई। फिर कार मैदान में से होकर गई। यह सब हम लोग झाड़ की आड़ से कुछ दूरी पर से देख रहे थे। उसकी परेशानी पर हमें मजा आ रहा था। उसके जाने पर हम लोग भी खिसक गये।

गिरफ्तारी के बाद जेल में जेलर साहब ने एक दिन मुझझे पूछा कि ईदगाह ग्राउंड में क्या बात है कि पुलिस इदगाह ग्राउंड को खोद खोद कर देख रही है? मुझे फौरन राजकुमार कालेज के प्राचार्य पीयर्स साहब वाली घटना ख्याल में आ गई। पीयर्स साहब ने अवश्य पुलिस को उसकी सूचना दी होगी।

दूसरे अवसर पर मेरे एक साथी श्री गोविन्द लाल अवधिया जो अब शिक्षक हैं, थे,। वह एक मिनट बाद फूटने वाला बम था। यह भी उसी इदगाह के मैदान के दूसरे तरफ प्रयोग किया। हम एक झाड़ के आड़ में खड़े हो गये। शाम का ही वक्त था। थोड़ा ही प्रकाश बाकी रह गया था। बम को फेंकने पर कोई तत्काल विस्फोट नहीं हुआ। गोविन्दलाल असफल प्रयोग समझ कर बम उठाने को आगे बढ़ा। मैंने उसे हाथ पकड़कर फौरन रोक रखा।

कुछ ही क्षणों के अन्दर ही विस्फोट हुआ, उसे बड़ा ही विस्मय हुआ। मैंने उसे एक मिनट बाद में फूटने का रहस्य बताया।

एक दूसरे अवसर पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई। मेरे साथ मेरा एक भान्जा बनवाली लाल सोनी था। पोजीशन बम का प्रयोग करना था। शीतला मंदिर के पीछे के तरफ शरीफा का जंगल था। बीच में एक मोटा सा झाड़ू था। मैंने बम को ठीक करके ढक्कन की चूड़ी कस दी थी। और सुतली बांधकर उसी झाड़ू के आड़ में होकर सुतली का दूसरा सिरा थाम लिया। इतने में ही बनवाली कहने लगा कि यहाँ पर पुलिस थाना सिर्फस्कूल के ही बाद में है और आवाज होने पर हम पकड़े जा सकते हैं। मैंने कहा वे हमें पा नहीं सकते हैं। हम विस्फोट करके यहाँ से तुरंत नौ दो ग्यारह हो जायेंगे। पर उसने विस्फोट न करने की जिद की। फिर बम को अलग-अलग करने की समस्या बड़ी गंभीर थी। अर्थाभाव के कारण साफअच्छ काम न हो पाता था। उसका ढक्कन खोलने में विस्फोट होने की पूरी संभावना थी और जान जाने का खतरा था। साथ ही बम को वहीं छोड़कर जाना भी उचित नहीं था। कारण कोई निर्दोष वहाँ दिशा मैदान के लिये आता और अनजाने में छूता और उसकी जान व्यर्थ ही जाती। इस अंतर्द्वन्द के बाद मैंने निश्चय कर लिया कि मैंने इसे बनाया है और मुझे ही अलग करना चाहिये। मैंने बड़ी सावधानी के साथ पेंच खोलकर ढक्कन अलग कर लिया। आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना खतरा था।

हम महाराजबंद तालाब के किनारे में बूढ़ातालाब जाने की एक पगडंडी में सुनसान जगह में गये। वहाँ फिर उसे जमा कर

पेंच कसने को जैसे ही ढक्कन उस बम पर रखा कि उसमें आग लग गई। थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था। एक बड़ी जोरदार आग की लपट बहुत ऊंचाई तक निकली मेरे दोनों हाथों के पंजे झुलस गये। आपको यहां शंका हो सकती है कि आग तो लगी पर विस्फोट कैसे नहीं हुआ ? विस्फोट न होने का कारण यह था कि ढक्कन सिर्फ ऊपर रख भर पाया था। उसकी चूड़ी कस नहीं पाई थी। किसी भी विस्फोट होने के लिये “कंप्रेशन” होना जरूरी है, बगैर “कंप्रेशन” हुए विस्फोट या धमाका नहीं होगा। मैं सौभाग्य से बच गया। इलाज के लिये मैं अस्पताल नहीं गया इस संदेह से कि कहीं डाक्टर यह न जान ले कि यह बारूद से जला हुआ है। अतएव घर पर ही मेरा साथी होरीलाल इसका इलाज करता रहा। करीब एक माह में आराम हो गया।

सुधीर बाबू डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में ही काम करता था। मैंने सब हाल उसे बताया। उसे बड़ा अफसोस हुआ और अब से ज्यादा सावधानी बरतने की हिदायत दी।

डायनामाइट बनाने की क्रिया भी मुझे मालूम थी। डायनामाइट नाइट्रो ग्लिसरीन और गन काटन या ट्राई-नाइट्रो सेल्यूलूस से बनता है। दो तेजाबों के मिश्रण में ग्लिसरीन या कपास को डालकर बनाया जाता है। गन काटन तो मैंने सफलतापूर्वक बना लिया। परीक्षा करके भी देख लिया। इतना तेज था कि, दो तीन मिली मीटर दूरी से ही आग की चिंगारी दिखाने से आग पकड़ लेता था। धुंआ उसका दिखाई नहीं देता था। तमाम रायफल के कारतूसों में यही बारूद रहता है। जिसे “स्मोक्लेस” कहते हैं। यह कोयला गंधक और शोरा के मिश्रण

से बनने वाले बारूद से पांच गुना ज्यादा विस्फोटक है। इसकी ताकत ज्यादा है। इसे हाई एक्सप्लोसिव कहते हैं।

इन सब को बनाने में फ्रिजिंग मिक्चर याने बरफ-नमक की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। पैसा कहां था ? मैंने कुछ मिट्टी के बर्तनों में रात को पानी भर दिया। सबेरे प्रयोग शुरू किया। दो तेजाबों का मिश्रण किया, गरमी बढ़ी, पर उसमें ग्लिसरीन डाला फिर गरमी बढ़ी। मिट्टी के बर्तनों में रखे ठंडे जल के संपर्क में लाने पर भी तापक्रम बढ़ता चला गया। मैं लगातार परीक्षा पात्र के पेटे को उंगली से छूकर उष्णता का अनुभव करता रहा। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि अब आग लग जायेगी, मैं परीक्षापात्र को जमीन पर ही रखकर फौरन कमरे से बाहर भागा। खिड़की से देखा, तमाम ग्लिसरीन धुंवा बनकर रेलगाड़ी के धुंवे की तरह उड़ गया।

कारतूस बनाने में खोखे में सबसे पहिले टोपी को फिट किया जाता है। केप - फिटिंग करने में ज्यादा दबा देने पर विस्फोट होकर छटक जाता थां इन सब प्रयोगों में सावधानी की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, उसे मैं पूरे ध्यान में रखता था। मैं बिना सोचे-समझे एक कदम भी आगे नहीं रखता था। यही कारण था कि दुर्घटनाएं कम हुईं या नहीं हुईं। इन सब कामों में जल्दबाजी घातक है।

इस तरह करीब चार वर्षों तक प्रयोग करते करते मुझे कारतूस, विस्फोटक पदार्थ, बम और रिवाल्वर बनाना मालूम हो गया। दिक्कत या कमी सिर्फ पैसे की ही थी। यही अड़चन आगे चलकर दल के लिये घातक हुई। कारण यह कि हमें आर्थिक




मदद के लिए दूसरों के पास जाना पड़ता, उद्देश्य बताना पड़ता, वक्त पड़ने पर थोड़ा बहुत चमत्कार बताना पड़ता। तब वह प्रभावित होकर हमें मदद देता। वह किसी को न बताने का वायदा तो करता पर कोतूहलवश दूसरों से वह जाकर कह डालता। इस प्रकार बहुतों को मालूम हो चुका था कि इस प्रकार के सरकार विरोधी व खतरनाक कार्यों में हम लगे हुये हैं। उनके दूसरों को बता देने का उद्देश्य गह्वारी या हमें पकड़वाने का नहीं था। सिर्फ कौतूहल और आश्चर्य ही था। इन तमाम कलाओं का केन्द्रीकरण मुझमें हो गया। सुधीर बाबू को भी बम बनाने की क्रिया मालूम थी। मालवीय रोड स्थित एक "ओरिएंटल होटल" एक गुजराती सज्जन ने खोला था। उसने हम लोगों के लिए एक कमरा छोड़ रखा था। जहाँ हम लोग विशेषकर कुंज बिहारी चौबे, श्री दशरथ लाल चौबे, श्री प्रेमचंद वासनिक, श्री सुधीर दादा, श्री निखिल भूषण सूर इत्यादि आपस में मिला करते, चर्चा करते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने होटल के मालिक को बहुत परेशान किया। बाद में होटल बंद हो गया। हम छत्तीसगढ़ कालेज के हॉस्टल में जाते, बैठते और चर्चा किया करते।



देवीकांत झा



दशरथ लाल चौबे



विपिन बिहारी सूर

## संगठन

हम लोगों को यह मालूम था कि “संघर्ष” सिर्फ कुछ व्यक्तियों के द्वारा करना निरर्थक होगा। इसके लिए एक विशेष दल का संगठन करना आवश्यक था। मैं अक्सर शिक्षित और प्रगतिशील विचारधारा के नवजवानों से मिलता और उन्हें अपने दल में लाने का प्रयत्न करता था। मेरा परिचय छत्तीसगढ़ कालेज के दो बी.ए. के छात्रों से हो गया। एक था लाल समर सिंह बहादुर देव जो सरगुजा के राजवंश से संबंधित था। दूसरा प्रेमचंद वासनिक जो खंडवा निवासी था। ये दोनों बाद में सरकारी गवाह बन गये। पर वासनिक अंतिम क्षण में फिर पुलिस की गवाही देने से मुकर गया। आजकल वह कांग्रेस टिकट से विधानसभा का सदस्य है। दुर्गा आर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य श्री रणवीर सिंह से हमारा खूब परिचय था। श्री कुंज बिहारी व श्री दशरथ लाल चौबे बंधु भी हमारे साथ थे। उनके पास एक अमेरिकन मेक पांच फायर का रिवाल्वर था। जिसकी नकल कर मैंने और दूसरे रिवाल्वर बनाये। डाक्टर बिपिन बिहारी सूर, श्री निखिल भूषण सूर, श्री सुधीर कुमार मुखर्जी हम सब पहिले से संबंधित थे। श्री क्रांतिकुमार भारतीय भी थे। उनका श्री दशरथलाल से मन मुटाव हो जाने से वे बिलासपुर चले गये थे।

डाक्टर दादा से हमें विस्फोटक पदार्थ मिल जाते थे क्योंकि उनमें डाक्टर की चिट्ठी की आवश्यकता होती थी।

जबलपुर से श्री सृष्टिधर मुखर्जी डाक्टर सूर के क्लिनिक में आये थे। यह सन् 1942 के आदि की बात है। मैं भी दवाखाने में

उसी समय प्रविष्ट हुआ। डाक्टर दादा ने मेरा परिचय श्री सृष्टि से कराया। उन्होने मुझे जबलपुर आने का निमंत्रण दिया। वहाँ मुझे कुछ लोगों को बम बनाना सिखाना था। मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारा दल बढ़ेगा ऐसा मुझे महसूस होने लगा। उन्होने एक लालजी नाम के व्यक्ति को रायपुर मुझे लेने को भेजा। मैंने उसे एक खास तिथि निश्चित बता दी कि मैं उस दिन जबलपुर चला जाऊंगा। वह वापस चला गया। मैं सन् 1942 के अप्रैल में जबलपुर चुप-चाप बिना किसी को बताये चला गया। रात को करीब साढ़े नौ बजे स्टेशन पर उतरा। मैं एक तांगे में गंजीपुरा श्री सृष्टिधर जी के निवास स्थान में गया।

जबलपुर से लौटकर मैं महासमुंद गया वहाँ एक कांग्रेसी खेदूलाल सोनी के यहाँ गया। वहाँ भी एक दल कायम करने के लिये मैंने एक सज्जन गोमास्ता जी से संपर्क स्थापित किया।

श्री देवीकांत झा और श्री कृष्णराव थीटे वगैरह से भी खूब संबंध बढ़ा।

इन्ही दिनों यहाँ पुरुषोत्तम जोशी ने एक हिन्दोस्तानी लालसेना की शाखा खोली थी। श्री गोपाल यदु उसके कमान्डर थे। हमारे प्रिय साथी निखिल सूर ने कहा कि हिन्दोस्तानी लाल सेना में हम लोग भी शामिल हो जाएँ, इससे हमें ज्यादा आदमी मिलेंगे और कुछ काम शुरू होगा।

हम दोनों एक दिन संध्या जोशी जी के पीछे वाले कमरे में दाखिल हुए। बड़े रौब के साथ जोशी जी विराजमान थे। हम लोगों ने आने का अभिप्राय बताया। जोशी जी ने हमें प्रतिज्ञा-पत्र

की दो प्रतियां दीं, जो लाल स्याही में छपी हुई थीं और कहा कि इसमें खून से दस्तखत करना होगा। हमने मंजूर किया। हमें दूसरे दिन दस्तखत करने को कहा गया। हम लोग मकान के बाहर आये तब उसी दुकान में एक मुनीर नामक पुलिस के आदमी को बैठे देखा, हमारा माथा ठनका कि ये हजरत यहाँ कैसे बैठे हैं। हम लोगों को जोशी जी पर शक हुआ और दस्तखत न करने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन फिर शाम को हम लोग जोशी जी के मकान में गये जो कि एडवर्ड रोड पर स्थित था। उन्होने बड़े रौब से पूछा कि दस्तखत करके ले आये? हम लोगों ने उत्तर दिया हमने प्रतिज्ञा - पत्र फाड़कर नाली में फेंक दिया है। क्योंकि तुम एक नकली आदमी मालूम पड़ते हो और इन होनहार नौजवानों को गुमराह कर इन्हे फंसा कर बर्बाद करोगे। यह मुनीर तुम्हारी दुकान पर क्यों और कैसे बैठा है ? इसे हमने कल भी देखा था। इस पर जोशी जी क्रोधित हो गये और अपने आसन के नीचे से एक ( नकली-खिलौना ) रिवाल्वर निकालकर हमें जान से मार देने की धमकी देने लगे। मैं उस रिवाल्वर को देखते ही जान गया कि यह नकली है मैं अपनी जेब से एक छः फायर का असली रिवाल्वर जो हमारे द्वारा बनाया हुआ था, की नली उसकी ओर करके कहा कि असली तो मेरे पास है, घोड़ी दबाने की देर है और आपका दम बाहर हो जाएगा। जोशी जी को उन नवजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ न करने की चेतावनी देकर हम बाहर आ गये। कहने लगे कि मैं आप लोगों को टेस्ट कर रहा था। फिर हम लोग जोशी को उन नवजवानों की जिन्दगी से खिलवाड़ न करने की चेतावनी देकर बाहर आ गये। ये जोशी जी एक

कांग्रेसी हैं। मेरा शक है कि पुलिस के कानों तक हम लोगों के बारे में बात इन्हीं महाशय की हरकतों के कारण गयी है। बाद में भारत छोड़ो आन्दोलन में वे एक अहिंसक आन्दोलनकारी की तरह जेल भी गये।

दल की शक्ति बढ़ाने में या परिचय बढ़ाने में इस बात की सतर्कता रखी कि अन्य साथियों का नाम हर एक को मालूम न हो, इसका कारण यह था कि यदि गिरफ्तारी हो जाए तो दूसरों का नाम नहीं बता सकेंगे, और ऐसा हुआ भी। गद्दार शिवनंदन जो कि मेरा बहुत बचपन का दोस्त था, जितना कुछ देख पाया था, चिट्ठियों के आधार पर जितना जान पाया था, उतना ही वह पुलिस को बता पाया इसलिए पूरे लोग नहीं पकड़े गये और न ही वे हमारा कोई खास सामान ही पकड़ सके। मैं तमाम विस्फोटक पदार्थों को एक स्थान पर सिर्फ एक ही दिन रखता था, मध्य रात्रि के उपरांत दूसरे मित्र के यहाँ पहुंचा दिया करता था। यह इसलिये करता था कि पुलिस द्वारा हमारा स्टाक न पकड़ा जा सके क्योंकि वही हमारी पूंजी व शक्ति थी। ठीक ऐसा हुआ भी। ता. 14.07.1942 को गद्दार शिवनंदन मेरे घर आया था और सब सामानों को देखकर गया था। मेरी गिरफ्तारी ता. 15.07.1942 को उसने करा दी। पर मेरे यहाँ पुलिस को कोई महत्व का सामान नहीं मिल सका। मैंने रात्रि को उन्हे श्री होरीलाल के यहाँ पहुंचा दिया था।

मैंने कुछ नियम बना लिये थे जैसे पहिला - एक सदस्य को दूसरे सदस्य से तुरंत परिचय नहीं कराना। दूसरा विस्फोटक पदार्थ व रिवाल्वर वगैरह को एक ही स्थान पर

ज्यादा दिन तक नहीं रखना। तीसरा किसी भी कार्य में किसी सदस्य से जब कार्य लेना होता तो अचानक बिना उद्देश्य और स्थान बताये उसे साथ लेता। इन्ही कारणों में हम लोग जल्दी नहीं गिरफ्तार हो सके थे। अंत में मैं तीसरे नंबर की गलती कर बैठा। मैंने शिवनंदन से स्थान और उद्देश्य बता दिया और मैं गिरफ्तार हो गया। इन कार्यों में किसी भी नियम का उल्लंघन कदापि नहीं होना चाहिये। एक छोटी सी गलती का बड़ा भयंकर परिणाम होता है, सो हुआ।

यह सत्य है कि हमारा संगठन पूर्ण न हो सका था। हम एक सूत्र में बंध नहीं पाये थे। बहुत सी कठिनाइयां सामने थी। सबसे बड़ी कठिनाई आर्थिक थी। इस समस्या को हल करने के लिये सदर बाजार में स्थित एक बैंकर के यहाँ डाका डालने की योजना मैंने और सुधीर दोनों ने बनायी थी। शाम को मुनीम नोटों का बंडल निकालकर सिलक मिलाता था। बिजली का स्विच दरवाजे में घुसने के दाहिने बाजू में था। एक आदमी भीतर जाकर दस के नोट का चिल्हर मांगे, दूसरा स्विच ऑफ कर दे, चिल्हर देने वाले उस मुनीम को पिस्तौल दिखा कर हम नोट सरका ले। मुनीम को कोठारी में बंद कर दिया जाय और सायकल में भाग जाना था। सुधीर बाबू बूढ़ापारा में बिलाईगढ़ बाडे में रहता था। पर वह योजना कार्यरूप में न हो पायी।

पैसों की कमी आखीर तक रही। इसी तंगी के कारण मैंने अपनी सायकल सिर्फ बारह रूपये में बेच डाली। मैं अब पैदल ही आना जाना करता था।



## गिरफ्तारी

पुलिस को कुछ सरकार-विरोधी कार्यवाहियों का सुराग सन् 1940 के अंत तक लग चुका था, पर उन्हें कुछ ठीक से नहीं लग पाया। सन् 1941 के शुरू में एक मुस्लिम अधिकारी सेन्ट्रल इंटेलिजेन्स का यहां पता लगाने आया पर कुछ भी उसे सफलता न मिली। वह एक अंदाजी रिपोर्ट देकर चला गया।

फिर सन् 1942 के आदि में एक मशहूर सेन्ट्रल का खुफिया अधिकारी नरेन्द्र सिन्हा आया। यह बड़े-बड़े मामलों को पकड़ने में सफल हुआ था। उसे भी करीब छह माह की कोशिशों के बावजूद सफलता न मिल पायी। उसने हममें से किसी एक को लालच देकर फंसाया और वह था शिवनंदन, जो मेरा बहुत बचपन का साथी था। उसका मकान मेरे मकान से लगा हुआ था। पुलिस से उसकी सांठ-गांठ हो गयी। जो कुछ भी उसे हम लोगों के बारे में मालूम होता, खुफिया विभाग को अवगत कराते रहा। कभी कभी कई पत्र वह खुद पोस्ट मेन से ले लेता था पर मुझे उस पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। कारण मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मनुष्य का स्तर, चंद चांदी के टुकड़ों के लिये, इतना गिर सकता है।

सन् 1942 के अप्रैल माह में मैं श्री सृष्टिधर मुखर्जी के बुलावे पर बिना किसी को बताये जबलपुर चला गया। सुबह करीब 9 या 10 बजे गोंदिया से जबलपुर जाने वाली छोटी लाईन की गाड़ी में बैठा। मेरे एक थैले में कुछ विस्फोटक पदार्थ, पिस्तौल, गोलियां, क्लोरोफार्म और फार्मूले की डायरी थी। एक रिवाल्वर

गोली भरा हुआ मैं अपने कमर में रखा था। मैंने थैले को ऊपर सामान रखने की जगह पर रख दिया और सामने उस पर नजर रखते हुए मैं बर्थ पर बैठा रहा।

उसी डिब्बे में मेरे पास ही श्री हरनाम सिंह सिटी इन्स्पेक्टर जबलपुर का सुपुत्र भी बैठा था, जो जबलपुर जा रहा था। उन दिनों मैं हस्त रेखा विज्ञान भी पढ़ता था। वैसे मैं ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ दखल रखता हूँ। इन शास्त्रों का अध्ययन चौदह वर्ष की अवस्था से ही कर रहा हूँ। वह लड़का हाथ पर हाथ रखे बैठा था। मेरी नजर उसके हाथ की रेखाओं पर पड़ी जैसी आदत हो गयी थी। मुझे उसके हाथ में समुद्र यात्रा की रेखाएं दिखायी पड़ीं। मैंने निस्तब्धता भंग करते हुए उससे अंग्रेजी में पूछा हैड यू एवर सी वाएज ? आई थिंक ट्वाइज ? उसने सहज ही उत्तर दिया "यस" वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया कि मैं बिना कुछ जानकारी के कैसे यह सब जान गया। मैं इतना पूछ कर चुप हो गया, पर वह चुप न रह सका। मुझसे वह बार-बार प्रश्न करने लगा कि मैंने यह सब कैसे जाना। मैंने उसे बताया कि मैं हस्तरेखा विज्ञान पढ़ता हूँ, आपके हाथ में मुझे साफ-साफ समुद्र यात्रा की रेखाएं दिखायी दीं और इसकी सत्यता को मालूम करने के लिए ही मैंने पूछा था। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। आपसी बातचीत के दौरान मेरा गन्तव्य स्थान का प्रयोजन भी पूछा। मैंने सिर्फ शहर देखने की ही बात कही। मैंने उससे उसका परिचय पूछा उसने बताया कि मेरे पिताजी चांदा से तबादला होकर जबलपुर के सिटी इन्स्पेक्टर होकर गये हैं। मैं मैट्रिक की परीक्षा देकर वापस जबलपुर जा रहा हूँ। मैं उसका परिचय जानकर काफी सतर्क हो गया। उसने मुझे अपने

घर आने को कहा मैंने हामी भरी।

करीब 9.30 बजे रात को रेलवे स्टेशन पर उतरा। उस लड़के से बिदा ली। तांगे पर सवार होकर गंजीपुरा पहुंचा। मुझे मकान के अंदर ले जाया गया। रात्रि का भोजन किया। और अंदर ही सोया रहा। करीब 4 बजे सृष्टिधर ने मुझे जगाया और अन्यत्र जाने को कहा फिर मुझे तांगे में बिठाकर उपरेन गंज में श्री रमेशचंद जैन के यहाँ ले जाया गया। आजकल वह चिरमिरी कोयले की खान में मजदूरों का नेता है।

उस समय रमेश चंद पाठक के स्टूडियो में वह काम करता था। वह भी विवाहित था पर उसकी धर्मपत्नी मायके गई हुई थी। मैं खाने पीने का प्रबंध करता। हम दोनों खाने के बाद दिन भर घर पर ही रहते। कई नवजवान लड़के आते उनसे राजनैतिक चर्चा होती। बम बनाने की क्रिया बताता, समझाता और खास समय पर सावधानी करने की हिदायत देता। भवानी प्रसाद नामक एक नव-जवान भी, जो कि शायद गन कैरेज फैक्ट्री में काम करता था, आता था। उसने मेरे लिये रिवाल्वर का रोलर और बैरल में फैक्ट्री से छेद कराकर ला दिया था। आजकल वह जबलपुर के उप-मेयर के पद पर रह चुका है तथा एक कांग्रेसी है।

यहाँ पर मैंने एक धृष्टता की। दूसरे ही दिन कोतवाली का पता पूछते मैं उस सरदार लड़के के पास पहुंचा। पर वह सफ़र में थकावट व कुपथ्य के कारण बीमार पड़ गया था। वह मुझसे मिलने व बातचीत करने में असमर्थ था। मैं भी झट वहाँ से खिसक लिया।

सृष्टि दादा ने मुझे बाहर निकलने से मना किया था। मैं सिर्फ रात को ही रमेश के साथ घूमता। मैं चांदनी रात में ही मदन महल देखने गया था।

इस तरह नवजवानों के बीच उनसे क्रांतिकारी आंदोलन की संभावनाओं के बारे में बातचीत करते समय काफी दिन बीत गये। उस मकान के सामने एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया ने हमें बताया कि एक सफेद पोश आदमी आया था और पूछ रहा था कि (रमेश के) इस मकान में कौन आया है? मेरा माथा ठनका। मैं उस स्थान से भाग जाने के लिये अधीर हो उठा। मुखर्जी ने मुझे दूसरे स्थान पर चलने को कहा, पर मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे वहाँ से खसक जाना चाहिये।

आठवें दिन प्रातः घूमने के बहाने अकेले ही निकला और सीधे हाऊबाग स्टेशन पहुंचा टिकिट कटाकर गाड़ी में बैठा। मेरे पास सिर्फ राजनांदगांव तक ही आने का पैसा था। मैं नांदगांव पहुंच गया। वहाँ मेरे एक पुराने मित्र तुकाराम कन्नौजे थे, जो वहाँ अध्यापक हैं। उन्होंने मुझे रायपुर आने का प्रबंध कर दिया। मैंने नांदगांव से एक पत्र मुखर्जी को लिख दिया कि मैं अपने स्थान (रायपुर) पहुंच रहा हूँ आप फिकर नहीं करना।

सन् 1939 में मेरी एक पुत्री का जन्म हुआ था। तथा सन् 1942 के जुलाई के शुरू में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म के चार दिन बाद मैं सर्प-दंश से बचा और 15 जुलाई 42 को करीब 11 बजे मेरी गिरफ्तारी मेरे गद्दार साथी शिवनंदन द्वारा करा दी गई।

हमारा ऐसा ख्याल था कि बे मौसम राग अलापना ठीक नहीं है। कुछ भी जन आंदोलन शुरू हो, उसमें पूरी तैयारी के साथ अपने तरीके से कूद पड़ना है। और इसी उद्देश्य को सामने रखकर हम शक्ति संचय और संगठन की ओर ज्यादा ध्यान लगाये हुये थे। सन् 1942 के जुलाई तक देश के भावी “ भारत छोड़ो ” आन्दोलन का कोई आसार नहीं था। क्योंकि हम हर रोज अखबार पढ़ा करते थे और स्थिति से वाकिफ थे। पर मेरे मन में बार-बार यह बात उठती थी कि आज नहीं तो कल निकट भविष्य में अवश्य एक राजनैतिक आंधी चलने वाली है और उसी वक्त हम दिखा देंगे कि छत्तीसगढ़ में भी दिल और दिमाग दोनों हैं। हम यह जानते थे कि हम स्वराज्य नहीं ला सकते, राज शक्ति के सामने हमारी शक्ति बिल्कुल नगण्य है, किन्तु हम देश में जोश पैदा कर सकते थे, प्रेरणा दे सकते थे। छत्तीसगढ़ निष्प्राण से इस प्रदेश में जागृति होती और हजारों तादाद में नवजवान देश के काम आते। कई दसाब्दियों के इतिहास में भी इस प्रदेश में कोई जोरदार राजनैतिक आंदोलन न हो सका था।

हम ने क्रांतिकारी इतिहास भी पढ़ा था। देश में कई जगह “ षडयंत्र ” हुए और सभी असफल रहे क्योंकि हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं हैं। थोड़ी सी स्वार्थ सिद्धि के लिये देश के हित को ताक पर रखकर कुछ व्यक्ति अपने दल के लोगों के साथ गद्दारी करते आ रहे हैं।

शिवनंदन भी मेरे बचपन का दोस्त था। वह मुझे गिरफ्तार कराने में ही लगा हुआ था। मुझे उस पर कोई संदेह न था। कारण मुझे कभी ऐसा ख्याल न था कि एक बचपन का दोस्त चंद चांदी

के टुकड़ो या पेट पालू नौकरी के लिये अपने ही दोस्त के साथ विश्वासघात कर सकता है। मुझसे एक ही और अंतिम गलती हुई कि मैंने उसे तारीख 14.07.1942 के रात्रि को जाहिर कर दिया कि मैं एक छः फायर का एक रिवाल्वर कल गिरीलाल से लाने वाला हूँ। उस कमीने ने पुलिस को आगाह कर दिया। मुझे पकड़ने की योजना बनाई गई। सबेरे तारीख 15.07.1942 को शिव मेरे घर आया। मैं भोजन करने की तैयारी में था। मैंने भोजन करना छोड़ दिया। उसके पास एक बाई-सिकल थी, हम दोनों श्री गिरीलाल जी के पास गये। श्री गिरीलाल परभूलाल पतीराम बीड़ी वाले के बाडे में रहते थे। मैं गिरीलाल जी से एक रिवाल्वर और तीन गोलियां लेकर रिवाल्वर कमर में छुपा लिया और गोलियों को धोती के अंटी में रखा। फिर मैं सामने रॉड पर बैठा, शिव सायकल चला रहा था। एडवर्ड रोड और लखेर ओली तिगड्डे पर सायकल रोककर उसे लखेर ओली से ही चलने को कहा। उसने गलियों का बहाना बताया और एडवर्ड रोड से ही चलने को कहा तथा जिद सी करने लगा मैं राजी हो गया। अगर मैं अपनी मरजी से लखेर ओली वाली सड़क से चला जाता तो शायद मुझे पुलिस वाले न पाते। पर होनी होकर ही रहती है।

एडवर्ड रोड जहाँ सदर रोड से मिलती है वहाँ ताराचंद कार्तिलाल सर्राफ के दुकान में नरेन्द्र सिन्हा और उसके समीदा खुफिया अधिकारी और दूसरे बाजू की दुकान में सिटी इन्स्पेक्टर तथा एक अंग्रेजी अफसर छुपे हुए खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। शिव ने मोड पर घंटी बजाई और दोनों ओर से चारों आदमी पुलिस के मुझ पर पर टूट पड़े। मेरे दोनों हाथ इन चारों आदमियों

ने पकड़ लिये। फिर मैं पूरे जोर के साथ अपना दाहिना हाथ नरेन्द्र सिन्हा और समीदा को धक्का देकर छुड़ा लिया। मेने अपने कमर से अपना रिवाल्वर निकालना चाहा। इस पर वह अंग्रेज चिल्लाया केच हिम। वहाँ पर सादे लिबास में भी बहुत से सिपाही तैनात थे। मैं अंत में गिरफ्तार हो गया। मुझे सामने एक मारवाड़ी दुकान में बिठाया और मेरी तलाशी के बाद भी वे तीन गोलियां अंटी में ही रह गयी। मैंने अपनी हथेली में ही छुपा लिया। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा नीच कर्म किसने किया है? मुझे उस समय कुछ शंका शिव पर हुई पर विश्वास न होता था। हथकड़ी थाने से मंगाई गई। पर हथकड़ी वहाँ नहीं थीं। अतएव हाथ पकड़कर वे मुझे ले चले। मैंने अपना दाहिना हाथ बड़ा दिया, कारतूस बांये हाथ में थे। दुकान से निकलते समय मैंने सबकी आंख बचाकर उन्हें नाली में ही डाल दिया। थाने में मुझे कोठरी में बंद कर दिया गया। पर मैंने जानना चाहा कि यह विश्वासघात किसने किया है? शंका शिव पर हो चुकी थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया और गोली वाली बात बतायी और उसे अन्यत्र फेंकने को कहा। गोलियों के बारे में उसे बताना टेस्ट था कि अगर निर्दोष होगा तो सचमुच फेंक देगा और अगर इसी की बदमाशी होगी तो उठाकर पुलिस को सौंप देगा। उसने वे तीनों गोलियां सिन्हा खुफिया इन्स्पेक्टर को सौंप दीं। मेरी शंका दूर हो गई कि मुझे शिवनंदन ने ही फंसाया है।

मुझे गिरफ्तार करके पुलिस ने मेरे मकान पर धावा बोला। मेरे पिताजी भोजन करने बैठे थे। पुलिस ने रसोई घर को छोड़ सब मकानों में ताला लगा दिया। पुलिस को देखकर पिताजी को पूरी शंका हो गई कुछ अनर्थ अवश्य हो गया है क्योंकि यह बात उन्हे

अच्छी तरह मालूम थी कि मैं बारूद पिस्तौले घर पर बनाता हूँ। उनसे भोजन न किया जा सका। वे थोड़ा सा ही खाकर उठ गये। पुलिस ने चार पांच घंटे तक तमाम चीजों को देखकर पूरी तलाशी ली। बैटरी बनाने के पाऊंडर, जो काले रंग का रहा, बारूद समझकर ले गये। पिकरिक एसिड, जो कि क्रिस्टलाइज होने के लिये रखे थे उठा ले गये। बड़े-बड़े संसार के व्यक्तियों की जन्म कुंडलियाँ कुछ कागजात, पत्र, एक नोट बुक इत्यादि बटोरकर ले गये। पर जैसा शिव ने पुलिस को अगले दिन रिपोर्ट दी थी कि पूरा सामान अन्दर की आलमारी में भरा हुआ है, और वह सचमुच अगले दिन देखा गया था, पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। मैंने नियमानुसार आधी रात को अपना सामान होरीलाल के घर पहुंचा दिया था।

उधर श्री गिरिलाल मिस्त्री के घर भी पुलिस पहुंच गई। वे भोजन बना रहे थे। उनके पास ही में एक लकड़ी के डिब्बे में कारतूस भरे हुए थे। पुलिस को देखकर गिरिलाल ने पकती हुई सब्जी बढ़ाई डिब्बे के ऊपर रख दिया। पुलिस को और कोई सामान नहीं मिला। पुलिस ने गिरिलाल को भी गिरफ्तार करके कोतवाली में बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस डॉ. सूर के घर पहुंची। इसका कारण यह हुआ कि मेरे घर पर जब पुलिस तलाशी ले रही थी उस समय पोस्ट मेन ने एक पत्र जो मेरे नाम का था मेरे घर में दिया। पुलिस ने उसे हस्तगत कर लिया। उसमें रायपुर का समाचार पूछा था। और विशेषकर निखिल भूषण सूर के बारे में पूछा था। आगे चलकर इसी पत्र के आधार पर डॉ. विपिन बिहारी सूर को भी पकड़ा गया व अदालत में यही पत्र बड़ा विवादपूर्ण



रहा। पुलिस ने मिस्टर सूर जहाँ लिखा था वहाँ मिस्टर अक्षर को टोंच दिया और उसे मिस्टर के स्थान पर डी.आर. अक्षर बताया। इस तरह डॉ. तहर डॉ. सूर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार दिन भर तलाशियाँ और गिरफ्तारियाँ होती रहीं। मुझे और डॉ. सूर, गिरीलाल मिस्त्री व मंगल मिस्त्री इन चारों व्यक्तियों को शाम तक गिरफ्तार करके कोतवाली में बंद कर दिया गया। किसी से बात तक नहीं करने दी गयी। पूरे शहर में एक सनसनी फैल गई। मुझे थाने में बयान देने को कहा गया पर मैं कुछ नहीं जानता इसके सिवाय कुछ भी नहीं कहता था। पर मैं जरा गर्मी के साथ ही बोलता था मतलब रॉब जमाना था।

रात्रि के करीब 12 बजे ये चारों, डी.एस.पी., सिटी. इंस्पेक्टर पांडे, खुफिया इन्स्पेक्टर सिन्हा और समीदा मेरी कोठरी के सामने आये और मुझे आवाज दिये। मैं पहिले से ही सशक्त था। मैं उत्तेजित होकर आक्रमणकारी मुद्रा में दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया और अंग्रेजी में गरजकर बोला “डोन्ट ट्राइ टू कम इन आर थिंक एट लिस्ट वन आफ्यू इस गान, मेरी आंखे लाल थीं। डी.एस.पी. ने अपने लोगों से कहा - डोन्ट गो इन, ही इस वायलेन्ट”। वे लोग अन्दर नहीं आये। और बाहर से ही पूछताछ करने लगे। मैं सिर्फकिसी के बारे में कुछ भी नहीं जानने की ही बात कहता था। यही कारण है कि मेरी ज्यादा मित्रता डॉ. सूर से थी या उनके छोटे भाई निखिल भूषण सूर से थी, यह बात मालूम नहीं हो सकी। और निखिल सूर को आठ दिन बाद ही गिरफ्तार किया गया।

मेरा सिद्धान्त है कि या तो कदम ही मत बढ़ाओ और

अगर कदम बढ़ा ही दिये तो फिर पीछे मत हटो। चाहे जो भी अंजाम हो भोगने को तैयार रहो। पीछे मत हटों कायरता दिखाने के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मृत्यु अवश्यंभावी है, सबकों मरना है पर अच्छी, सम्मान जनक मौत सबके भाग्य में नहीं रहती।

मैं रात भर नहीं सोया कोठरी में ही चहल कदमी करता रहा। भविष्य पर विचार करता रहा कि अब हमारे प्रोग्राम का क्या होगा ? इसके सिवाय मैं अपने आपको आने वाली कठिनाइयों के मुकाबले के लिये तैयार करने लगा।

दूसरे दिन मेरे पिताजी घर से कुछ जलपान सामग्री लेकर आये थानेदार से इजाजत लेकर मुझे खिलाया तथा मुझे बिल्कुल न घबराने को कहा। फिर हम चारों को एक ए.डी.एम. साहब के अदालत में रिमांड के लिये पेश किया गया तथा शाम तक हम लोगों को जेल भेज दिया गया। अदालत में बहुत भीड थी। लोग देखने आये थे। कुछ खबर भी भेजनी थी - भेजी।

हमारे मुकदमें में पूरा बार रूम का हम लोगों के साथ सहयोग था। सभी वकीलों की हमदर्दी हमें हासिल थी। नतीजा यह हुआ कि सरकार की ओर से कोई पैरवी करने वाला ही नहीं मिला। बाहर से वकील लाकर मुकदमा सरकार ने लड़ा। पर वे भी ठीक-ठीक पैरवी नहीं कर पाये। हम लोगों की तरफ से श्री पी. भादुरी, श्री एम.भादुरी, श्री बेनी प्रसाद जी तिवारी, श्री एहमदअली, श्री चांदोरकर, श्री पेन्डारकर श्री इरशादअली व श्री चुन्नीलाल अग्रवाल आदि वकीलों ने जी खोलकर पैरवी की थी।

## जेल

हम लोगों को अस्पताल वार्ड के चार गुनाहखानों में अलग-अलग बंद कर दिया गया। हमें हर एक को दो-दो कंबल ही दिये गये थे। रात भर नींद नहीं आई। उक्त समय रायपुर में श्री आर.के. पाटील साहब डिप्टी कमिश्नर रहे थे। वे ता. 17.07.1942 के सबेरे ही जेल में मुलाहिजे के लिये पहुंचे। उन्होने जेलर को फौरन हिदायत दी कि हम लोगों को बैरक में भेज दिया जावे। जेलर ने आदेश का पालन किया और अस्पताल के बैरक में हमें भेज दिया। श्री पाटिल, साहब गोरी सरकार के मुलाजिम जरूर थे। उनके भी मन में लालसा थी कि मातृभूमि के बंधन टूटें। उन्होने 1942 के " भारत छोड़ो आन्दोलन " के दौरान रायपुर शहर में कभी लाठी-चार्ज तक नहीं होने दिया न ही गोली चलवाई। अंत में उन्होने अपना इस्तीफा भी नौकरी से दे दिया। सन् 1946 में जब मध्यप्रदेश में कांग्रेसी वजारत बनी तब वे बहसियत एक मंत्री के अप्रैल माह में ही जेल में आये। उन्होने जेल अधिकारियों को लिखित आदेश दिया हम लोगों को ( दो हम रायपुर षडयंत्र केस के और चार बुलढाना षडयंत्र केस के लोगों को ) एक ही बैरक में रखा जाय व खाना ठीक ठाक दिया जाय। श्री पाटील साहब को हमसे बड़ी हमदर्दी थी। जिला साहब होने पर भी हमारे मामले की कोई सूचना उन्हे नहीं दी गई थी, न श्री पाटिल साहब मेरी गिरफ्तारी के समय ही हाजिर थे। बल्कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जो एक मुसलमान सज्जन थे, गिरफ्तारी के समय हाजिर थे। यह उनके पूर्ण राष्ट्रीय होने का प्रमाण था। मंत्रिमंडल में हटने के बाद श्री पाटिल साहब के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। वे कैसे हैं ?

कहाँ है ? शायद कारण यही था कि उनसे मुख्यमंत्री का कुछ मतभेद हो गया था।

पहिली रिमान्ड की पेशी तारीख 1.8.1942 को पड़ी। उस दिन तिलक जयंती थी। फिर पुलिस ने रिमांड लिया। इस तरह हम कुछ दिन जेल में रहे कि तारीख 9.8.1942 को “भारत छोड़ो आन्दोलन” देश भर में शुरू हो गया। बहुत से लोग जेल में आने लगे। इस आन्दोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया “करो या मरो” मेरी समझ में “मरो” का अर्थ तो अपना बलिदान करो आ गया पर “करो” का अर्थ जो मैं समझ पाया हूँ वह यह था सरकार का जितना भी ज्यादा नुकसान हो सके करो या सरकारी अफसरों को मारो, तोड़ फोड़ करो यही करो का अर्थ था। इस आंदोलन के दरम्यान तोड़-फोड़ हिंसा, आगजनी इत्यादि पूरे देश भर में हुई। आष्टी - चिमूर में पांच छै: सरकारी कर्मचारी जिन्दा ही जला दिये गये। सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। लूट-पाट भी हुई। मेरे साथ जेल में आष्टी-चिमूर के कई अभियुक्त थे। जिनसे जबानी में इन वाक्यातों के बारे में जान सका। मैं गांधी जी के “अहिंसा” के ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ कि “अहिंसा” का क्या मतलब था।

सन् 1920-21 में देश भर में सत्याग्रह आंदोलन चला। उस समय चौरी-चौरा कांड हो गया, याने पांच छै: सरकारी कर्मचारी जिन्दा जला दिये गये। गांधी जी की अंतरात्मा बोल उठी कि हिंसा हो गयी। उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। मैं पूछता हूँ कि “भारत छोड़ो आंदोलन में जब इतनी हिंसाये हुई विशेषकर” आष्टी-चिमूर में तब गांधी जी की अंतरात्मा कहाँ गई

थी ? क्यों उन्होने आंदोलन को स्थगित नहीं किया ?

मेरी समझ में गांधी जी को "अहिंसा" जहाँ तक आई है उसके अनुसार मैं अहिंसा को गांधी जी की नीति मानता हूँ सिद्धांत नहीं। नीतियां समयानुकूल परिस्थितियों के अनुसार बदला करती हैं। पर सिद्धांत कभी भी नहीं बदलते। सन् 1920 और सन् 1930 के आंदोलन के समय में भारत में जन जागृति नहीं हो पाई थी और यदि हम हिंसा का सहारा लेते तब गोरी हुकूमत द्वारा पूरी ताकत से ज्यादा क्रूरता पूर्वक हमारा दमन होता, हमारे बहुत से लोग मारे जाते तथा हम दबा दिये जाते। क्योंकि अहिंसा एक नीति थी और बदली हुई परिस्थितियों के कारण गांधी जी ने "करो या मरो" का नारा दिया और इन हिंसाओं के बावजूद भी आंदोलन को स्थगित नहीं किया। अहिंसा एक अव्यवहारिक चीज हैं जन समूह के लिये यह लागू नहीं होती। देश-कल्याण के लिये जो भी किया जाय सब अहिंसा है।

गांधीवादियों का एक और आकर्षक नारा है "हृदय परिवर्तन" का। आज करीब बीस वर्षों से शासन-सूत्र इन कांग्रेसियों के हाथ में है, जो अहिंसा के पुजारी हैं और हृदय परिवर्तनकारी हैं। इनने जितनी भी गोलियां अपने शासन काल में चलाई हैं उतनी ब्रिटिश काल में भी नहीं चलीं। हृदय परिवर्तित भारतीयों का ऐसा किया कि इन्सानियत के खिलाफ बहुतेरे लोग आचरण कर रहे हैं, जैसे मिलावट, चोर बाजारी, काला बाजारी, आदि। शासन इनके हाथ में रहा। इन अपराधिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने का दोष किन पर होगा ? कारण साफ है कि इनकी तमाम ताकत इन असामाजिक तत्वों को दबाने में खर्च नहीं होती। बल्कि

शक्ति का दुरुपयोग जन-आंदोलन, जनता की सही मांगों को कुचलने में होता रहा है। देश का स्तर क्या है यह आप देख लें।

दूसरा पाखंड शुरू किया गया है समाजवाद का नारा। एक तरफ पूंजी का केन्द्रीकरण हो रहा है। पैसा चंद लोगों के हाथों में नाजायज तरीकों से सिमट रहा है। उसका विकेन्द्रीकरण करना नहीं चाहते। दूसरी ओर कहते हैं कि हमें समाजवाद लाना है। इनकी आदत पुरानी, धोखा-धड़ी की है। काश ये गरीब और मध्यम वर्गीय जनता इनके भावों व भाषाओं को समझ पाती।

यह जो विकृत स्वराज हमें दिया गया है वह क्या सिर्फ गांधी जी के आंदोलन का ही फल था? भारत छोड़ो आंदोलन तो ब्रिटिश शासन ने पूरी तरह दबा दिया था। हमें जो स्वराज दिया गया वह नतीजा था नेताजी सुभाष बोस व आजाद हिन्द फौज की कुरबानियों का, हिन्दोस्तानी फौजियों की बगावत का। आप इतिहास को पीछे मुड़कर देखें। बगावत होने के तुरंत बाद ही सर स्टाफोर्डक्रिप्स अपना मिशन लेकर भारत आये और इन बड़े-बड़े नेताओं से समझौता किया। स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने ही इन बागी जन सेना के सिपाहियों को शांत किया था और वादा किया था कि किसी को भी दंड नहीं दिया जायेगा, आप लोग गोलीबारी बंद करें। बागियों ने अपने देश के नेता की बात मान ली। बाद में मेरा जहाँ तक ख्याल है उन्हें विक्टिमाइज किया गया। उनका क्या हुआ हम नहीं जानते। दान में जो चीज मिलती है उस चीज की हालत दान देने वाले की इच्छा पर निर्भर रहती है। वह चाहे खोटी, टूटी जैसे भी दे, लेने वाले को लेनी ही पड़ेगी। वही हालत हमारे नेताओं की रही। अंग्रेजों ने देश को काटकर दो

टुकड़े कर दिया। ऐसा स्वराज्य हमें दिया गया और हमने सधन्यवाद उसे ले लिया। अगर हम ताकत से लड़कर लेते तो हमारे देश का नक्शा यह न होता जो आज है। यह तो महज देशी और विदेशी पूंजीवाद का गठबंधन था।

हाँ तो मैं अपने विषय पर आता हूँ। मेरे कागजातों में प्रो. रणावीर सिंह शास्त्री का गुरूकुल कांगड़ी लाहौर का पता मिल जाने से उन्हे भी पकड़कर लाये पर सबूत के अभाव में नजरबंदी में डाल दिया। मेरे घर जो पत्र पुलिस ने तलाशी के दौरान पाया वह हस्तगत पोस्टमैन से किया था।

वह लाल समर सिंग बहादुर द्वारा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय से मेरे नाम पर भेजा गया था। अतएव समरसिंग को बनारस में ही गिरफ्तार कर लिया गया। समरसिंग मेरे बहुत करीब था। वह राजवंश ( सरगुजा महाराज ) से संबंधित था, क्षत्रिय था। पर वह पहिले ही मुखबिर बन गया और चुन चुनकर खूब अदालत में करीब तीन चार दिन तक अपना रटा-पिटा व सिखाया हुआ बयान दिया और बहुतों को फंसाया। श्री कुंजबिहारी चौबे का एक मामूली पत्र जो कि एक ज्योतिष की पुस्तक को वापस मांगने के विषय में था मेरे घर से ले गये और नांदगांव के पास उनके निवास स्थान पर नवागांव में तलाशी ली गई।

उनकी धर्मपत्नी ने पुलिस को देखकर एक रिवाल्वर जो चौबे जी के पास था अपने ब्लाउज में छुपा लिया तथा उसे पुलिस के हाथों में पड़ने से बचा लिया। पर श्री कुंजबिहारी चौबे व उनके छोटे भाई श्री दशरथ लाल चौबे को भी पकड़ लिया गया।

श्री कुंजबिहारी एक उच्चकोटि के कवि थे। उनकी कविताओं का संग्रह भी पुलिस ने जप्त कर लिया।



सीताराम शर्मा

इस तरह रोज तलाशी और गिरफ्तारी का क्रम जारी रहा। मेरे बहुत से साथी पकड़ लिये गये और जेल भेज दिये गये कई लोगों को कोतवाली का रोज चक्कर लगवाया जाता था। इस तरह पुलिस ने खासा आतंक मचा रखा था। श्री भुपेन्द्र नाथ मुखर्जी, श्री सीताराम मिस्त्री, श्री सुधीर कुमार मुखर्जी, श्री देवीकांत झा, श्री होरीलाल, श्री सुरेन्द्रनाथ, श्री गिरीलाल मिस्त्री, श्री कृष्ण राव थीटे, श्री कांतिकुमार भारतीय आदि मेरे साथियों को पकड़ पकड़ कर जेल में ठूस दिया गया। भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू हो जाने से हमारा मुकदमा जेल के अंदर ही होता रहा। बाहर खतरे के कारण हम लोगों को कचहरी नहीं ले जाया जाता था। जज, वकील, मुंशी पूरा स्टाफजेल में आतंक से आता था।

मेरी गिरफ्तारी के दो तीन दिन बाद सी.आई.डी. इंस्पेक्टर सिन्हा जेल में आया। मुझे धोखा देकर मेरे रिश्तेदार से मुलाकात करने के बहाने मुझे बुलवा लिया। मुझसे कहने लगा कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ तुम्हें हम छोड़ा देंगे वरना तुम्हारा जुर्म सरकार के खिलाफ बड़ा ही संगीन है। इसकी सजा फांसी या कालापानी है। तुम अपनी जिन्दगी बरबाद मत करो। मुझे उस नीच पर कितना क्रोध आया मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने अपने को सम्हाल कर कहा कि इन जुर्मों में बड़ी से बड़ी सजा मिलने से तो मैं बरबाद नहीं होऊंगा पर तुम मुझे सरकारी गवाह



बनाकर मेरी जिन्दगी बरबाद करने की कोशिश मत करो।

मैं इसका अंजाम पहिले से ही जानता था और मैं हर तरह से मुकाबले के लिये तैयार हूँ। तुम अपनी मनहूस शक्ल यहाँ से हटा लो। इस पर वह झल्लाया और मेरे पूरे घर भर के लोगों को जेल में ठूस देने की धमकी देकर चला गया। दूसरे दिन सिन्हा फिर आया और उसी तरह मुझे बुलवा लिया। जेलर साहब ने मुझे एक स्टूल पर बैठाया फिर सिन्हा मुझे सरकारी गवाह के रूप में फोड़ने का प्रयत्न शुरू कर दिया। जेलर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मुझे फिर क्रोध आया। मैं उठकर खड़ा हो गया और उसी स्टूल को ही उठाकर उसे मारने को दौड़ाया। सिन्हा बाहर भाग गया, और मैं जेलर के ऊपर बिगड़ा और उसके खिलाफ न्यायाधीश से रिपोर्ट करने की धौंस दिया। जेलर घबड़ाया।

इसी तरह सिन्हा ने हमारे सभी साथियों को मुखबिर बनाने की कोशिश की। चकमा भी देता कि अमुक साथी तो मुखबिर बन गया है तुम भी बन जावो। प्रेमचंद वासनिक जो छत्तीसगढ़ कालेज का विद्यार्थी था और लाल समरसिंग देव ये दोनों सरकारी गवाह बन गये। शिवनंदन तो जड़ खरीद गुलाम था ही। वासनिक एन वक्त पर अदालत में सरकारी गवाह बनने से मुकर गया और हम लोगों को किसी तरह नहीं फंसाया। वह उल्टा बयान देने लगा। सिन्हा साहब कूदने लगा और होस्टाइल घोषणा करने की कोशिश करने लगा। पर सब व्यर्थ रहा। आखिर तक शिवनंदन और समर दोनों सरकारी गवाह बने रहे।

समर सिंग की छोटी से भइया थान की जमींदारी थी जो

सरगुजा जिले में स्थित है। शायद अपनी जमींदारी जप्त हो जाने के डर से ही वह मुखबिर बन गया होगा। आजकल समरसिंग जी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर हैं।

पूरे नौ माह तक मामला चलता रहा। आंदोलन शांत हो जाने से हम लोग मोटर में कचहरी ले जाये जाते रहे। सरकारी गवाहों की संख्या एक सौ एकहत्तर थी। छः या सात विशेषज्ञों की भी गवाही थी जैसे हेन्डराइटिंग एक्सपर्ट, बैलास्टिक एक्सपर्ट, केमिकल एक्सपर्ट, आर्म्स एक्सपर्ट, इत्यादि। सब मोटी-मोटी रकमें लेते थे। मुझे भी अदालत में बयान देना पड़ा। मैंने सबको बचाते हुए अपना बयान दिया।

जिस दिन समरसिंग का बयान व गवाही होने वाली थी, उस दिन हम लोगों को नाम ले लेकर पुकार कर मोटर से उतारा गया। समरसिंग को वहीं खड़ा किया गया था। इस तरह करने का अभिप्राय हम सबकी उसको पहिचान कराने का था। क्योंकि वह मेरे और निखिल के सिवाय किसी को भी नहीं जानता पहिचानता था। श्री जे.डी. केरावाला स्पेशल जज नियुक्त किये गये थे। श्री बी.एन. मुखर्जी जो खुद भी एम.एस.सी. व कानून में स्नातक थे, ने जज से सिन्हा की इन चालबाजियों की शिकायत की। जज ने कहा कि अगर यह साबित कर न सकोगे तब तुम लोगों पर दफा 211 का जुर्म कायम होगा। हम लोगों ने मंजूर किया क्योंकि हम पर कई दफायें जैसे 120 बी, 302, 395, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव, एक्ट, डी.आई.आर, इत्यादि लगाई गई थीं। उनमें एक दफा और जुड़ जायेगी। एक नया मामला शुरू हुआ। हम लोगों ने अदालत के ही मुंशी की अपनी तरफ से गवाही दिलवाई

क्योंकि वह भी उस जगह मौजूद था। हम उस मामले को जीत गये और जो गार्ड सब-इन्स्पेक्टर हमारे साथ था उसकी पदावनति हो गई।

एक दिन समरसिंग बहादुर साथियों के खिलाफ अदालत में बयान देकर बहादुरी दिखा रहा था। श्री क्रांतिकुमार भारतीय अपने रूमाल से चूहे बनाकर उन्हें अपने बायें हाथ की उंगलियों से नचा रहा था। हम सभी साथियों को हंसी आ रही थी। हम सभी लोगों की नजर उस रूमाल के चूहें पर थी। इस पर न्यायाधीश को शंका हुई कि ये सब क्या देखकर हंस रहे हैं उसने भी झांककर देखा, चूहा उंगलियों पर दौड़ा। हमारे साथ जज को भी हंसी आ ही गयी। चूहा टेबल पर मंगाया गया। उसके मुंह से ये शब्द निकले “आप लोगों” पर सरकार ने “गंभीर अपराध” लगाये हैं और आप लोगों को कोई चिंता नहीं है।

अपराधों और परिणामों की चिन्ता क्रांतिकारी कभी भी नहीं करता। शायद जज को यह बात मालूम नहीं रही होगी।

अंत में तारीख 27.04.1943 को इस अदालती नाटक का अंत हो गया। अदालत हम लोगों पर कुल तीन ही जुर्म साबित कर सकी याने 120 बी, 5 एक्सप्लोसिव एक्ट और 19 आर्म्स एक्ट। इसके अंतर्गत श्री गिरीलाल को 8 वर्ष, मुझे 7 वर्ष श्री भूपेन्द्रनाथ मुखर्जी को 3 वर्ष, श्री सुधीर मुखर्जी को दो वर्ष, श्री दशरथ चौबे को एक वर्ष, श्री क्रांतिकुमार भारतीय को दो वर्ष, श्री देवीकांत झा को एक वर्ष, श्री सुरेन्द्रनाथ दास को एक वर्ष, श्री मंगल मिस्त्री को नौ माह, श्री कृष्णराव थीटे को 6 माह की

सख्त कैद की सजा सुना दी गयी। दोनों सूर बंधु व कुंजबिहारी चौबे छूट गये। पर डॉ. सूर को फिर नजरबंदी में डाल दिया गया। हम लोगों ने अदालत के अंदर ही जोरों से इंकलाब जिन्दाबाद के नारे लगाये। हमने अपने रिश्तेदारों को सान्त्वना दी कि हम लोग जल्दी आ जायेंगे।

एक व्यक्ति सुखीराम जो टाटा नगर से झूठी गवाही देने के लिये चकमा देकर लाया गया था। वह किसी तरह पुलिस के चंगुल से छूट कर हमारे वकीलों के पास पनाह लेने आया। पर पुलिस ने उसे भी हमारा साथी बनाकर जबरन जेल भेज दिया। वह भी अंत में अदालत से छूट गया। वह हमारे साथ जेल का कष्ट करीबन नौ माह तक झेला। पर उसने झूठी गवाही देना कबूल नहीं किया। हम ग्यारह व्यक्ति सजा काटने के लिये जेल पहुंचा दिये गये। हममें से कुछ लोगों को बी श्रेणी में रखा गया। पर मैं, गिरीलाल, सीताराम, सुरेन्द्रनाथ, मंगल, क्रांतिकुमार सी श्रेणी में ही रहे।

फिर वकीलों ने अपील करने की तैयारी की। पर मैंने अपील करने से साफ इन्कार कर दिया। अपील नागपुर हाईकोर्ट में हुई। अपील का फैसला न्यायाधीश श्री नियोगी साहब ने किया और हमारे चार साथी फिर छूट गये। यहाँ पर मुझे तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कुछ विवरण देना अति आवश्यक है।

सन् 1942 में गांधी जी द्वारा “भारत छोड़ो” राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनाई गई नीति

की कटु आलोचना बहुत होती रही। द्वितीय महायुद्ध सन् 1939 में आरंभ हुआ। उस समय दुनिया में तीन तरह की शक्तियां मौजूद थीं, पहिली नाजीवादी या फासिस्टवादी दूसरी साम्राज्यवादी और तीसरी शक्ति थी समाजवादी, जिसका अभ्युदय कुछ वर्षों पहिले सन् 1917 की सोवियत क्रांति के बाद ही हुआ था। फासिस्ट और साम्राज्यवादी ताकतों की दृष्टि में सोवियत रूस की समाजवादी शक्ति का रहना और पनपना बहुत खटकता रहा। वे दोनों यह चाहते थे कि फासिस्टी शक्ति को समाजवादी शक्ति रूस से भिड़ा दिया जाये ताकि ये दोनों मृत-प्रायः हो जायें। समाजवादी शक्ति इस धूर्तता से जागरूक थी। होशियारी के साथ हिटलर से अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर कराकर उस तूफान को पश्चिम की ओर मोड़ दिया। हिटलर ने पूर्व से निश्चिंत होकर साम्राज्यवादी यूरोप के तमाम देशों को रौंद डाला। उसके पश्चात वह पूर्व की ओर मुड़ा। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री चर्चिल ने कूटनीतिक दांव खेला। हिटलर को सुझाया, जो कि एक बुद्धिहीन पिशाच की तरह हो गया था, कि तुम्हारा असली शत्रु सोवियत - रूस ( समाजवादी ) अभी जिन्दा है उसे दबोचा जाय। वह चर्चिल के कूटनीतिक दांव में फंस गया। बगैर किसी पूर्व सूचना के सोवियत रूस पर सन् 1941 में पूरे जोर के साथ उसने आक्रमण कर दिया।

आज हमारी दुनिया इतनी सिमट चुकी है कि समय और दूरी की कोई बाधा नहीं है। संसार का कोई व्यक्ति यदि यह सोचे कि वियतनाम में लड़ाई चल रही है तो हमें उससे क्या मतलब यह बिल्कुल ही गलत अंदाज है। दुनिया के किसी कोने में कुछ भी

होता है तो उसका असर हर देश के हर व्यक्ति पर पड़ता है। इस तरह हर व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों है। अगर वह सिर्फ राष्ट्रीय होने का दावा करता है तो यह उसका गलत ख्याल है।

फासिस्ट जर्मनी के समाजवादी रूस पर आक्रमण के बाद दुनिया की तमाम समाजवादी ताकतों की नीतियों में परिवर्तन हुआ। और हर संभव तरीकों से उस फासिस्ट शक्ति को समूल नष्ट करने पर तुल गये। उस समय उनके सामने दो वैकल्पिक विचार थे। पहिला विकल्प यदि साम्राज्यवादी ताकत जीतती हैं, तो हमें नुकसान कम है। क्योंकि हर देश में समाजवादी विचारधारा या शक्तियां मौजूद थीं, जो प्रजातांत्रिक तरीकों से ही समाजवाद कायम कर सकती थी।

दूसरा विकल्प यह था कि यदि फासिस्टवादी शक्तियां विजयी होती हैं और समाजवादी रूस हार जाता है, तब तो समाजवाद का जनाजा ही निकल जायेगा क्योंकि उनके सिवाय दूसरी विचारधारा वहाँ रह ही नहीं सकती। अतः फासिस्ट वादी शक्ति को नष्ट करना बिल्कुल ही जरूरी था।

समाजवादी तर्क का सही अंदाज था कि यदि साम्राज्यवादी जीतते हैं तो सिर्फ अपने को ही विजयी कह सकते हैं। उनकी शक्ति इतनी क्षीण हो जायेगी कि बस एक धक्का देने की जरूरत रहेगी और साम्राज्यवादी जोड़ जो हमारे कंधो पर है, दूर हो जायेगा। युद्ध में यद्यपि साम्राज्यवादी विजयी हुए पर उनकी हालत खस्ता हो गई। युद्ध के बाद तो भारत, लंका, बर्मा, वियतनाम आदि अनेक देश थोड़े बहुत आंदोलन के पश्चात ही

आजाद हो गये।

इसी विचारधारा और नीति के अंतर्गत हिटलरी फासिस्टवाद के खिलाफ युद्ध के प्रयासों में भारतीय साम्यवादी दल ने भी मदद की। इसका यह मतलब हरगिज नहीं हो सकता कि वे लोग देश के प्रति वफादार नहीं थे या नहीं है। इस तरह के अनर्गल प्रचार विरोधी पार्टियों के लोग करते हैं।

पुराने जितने भी क्रांतिकारी जीवित हैं वे करीब करीब सभी साम्यवादी हैं, तब क्या ये सब लोग गद्दार हो सकते हैं ?

भारत में उस समय साम्यवादी पत्र "लोक-युद्ध" प्रकाशित होता था। उसी साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय नीति के कारण ही हमारे चार कम्युनिस्ट साथी उच्च न्यायालय से छूट गये थे। वे थे श्री भूपेन्द्रनाथ मुखर्जी, श्री सुधीर मुखर्जी, श्री कृष्णराव थिटे और श्री देवीकांत झा। फिर हमारा जेल जीवन आरंभ हो गया। हम लोगों को जाते ही चक्की में लगाया गया। पर हम लोगों के साथ जेल अधिकारियों ने सख्ती नहीं की। पन्द्रह दिन बाद हमें अलग अलग काम में भेजा गया। गिरीलाल को लोहर खाने में भेजा गया और मुझे कुंए से पानी खींचने में लगाया गया। एक माह तक पानी खींचता रहा फिर मुझे शैतानी सूझी। गरमी का दिन था। हम तीन आदमी थे। मैंने अपने दोनों सहयोगियों से खूब खा लेने को कहा, फिर हौज की चिन्दी निकालकर पानी हौज में भरना शुरू किया। हौज भरी ही नहीं, पर कुंए का पानी साफ हो गया। रिपोर्ट हुई हमारी बदली हो गयी। मुझे लोहार खाने में गिरीलाल के साथ काम पर भेजा गया। हम दोनों लोहे का काम करते थे।

बाल बनाने की पत्तियां, रेजर बनाकर कैदियों को देते रहे। बदले में बीड़ियां मिल जाती थीं। मैं धूम्रपान नहीं करता था पर गिरीलाल तो धूम्रपान करता था।

एक जेल अधिकारी ने हमें एक चाकू बनाने को कहा। गिरीलाल जी ने एक हफ्ते में ही इतना अच्छा स्टील का चाकू बनाकर दिया कि उसकी तबियत खुश हो गयी और उसे हम लोगों की यादगार स्वरूप रखने की इच्छा प्रगट की। हम लोगों का प्रभाव जेल में था। हमें कोई सताने की कोशिश नहीं करता था फिर मैं चक्कर में राइटर की हैसियत से लिखा पढ़ी का काम भी करता था। हम लोगों को निगरानी के अंदर रखने की बात हमारे टिकटों पर लिखी गयी थी। पर हम पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक आना जाना करते रहे। जेलर साहब ने हमारा जबलपुर तबादला रूकवा दिया कि ये लोग काम के आदमी हैं, जेल तरक्की करेगा।

क्रांतिकुमार जी ने गिरीलाल से कुछ बरमें बनवाये और उससे नारियल की खौतली से बटन बना बनाकर जेल अधिकारियों को दिये। ये बटन खूब चले और मांग बढ़ गयी। जेल में अधिकारी वर्ग व कैदी सभी हम लोगों की इज्जत करते रहे, पर एक जेल अधिकारी गांधीवादी आंदोलन में गए हुए सत्याग्रहियों पर जुल्म करता था। यहाँ तक कि श्री ईश्वरीचरण शुक्ल, जो एक समय मेरा सहपाठी रह चुका था, को खूब मारपीट किया। मैंने उसे मारपीट करते देख लिया। मुझे क्रोध आया और उससे बदला लेने की ठानी। मैंने उसके जेल के माल की चोरी का मामला मय दस्तावेज व सबूत के साथ बाहर लाया था, परन्तु तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश पं. शुक्ल ने उस पर कोई मामला नहीं चलवाया



क्योंकि वह जेल अधिकारी स्वर्गीय श्रीवामन राव बलीराम लाखे का पौत्र था।

जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट एक एंग्लोइंडियन श्री डी. मरू साहब थे। उसकी मेम साहिबा ने तौलने की मशीन मरम्मत के लिए भेजी थी। वह मशीन गिरीलाल के हाथों में कारखाने लायी गयी। गिरीलाल ने उसे सुधार दिया और अपने एक सहयोग कैदी को साफ करने को कहा। उसने स्पिरिट लगाकर डायल को भी पोंछ दिया। मशीन के डॉयल का सब रंग व लिखावट साफ हो गयी, सिर्फ काले रंग की लाइनें बाकी रह गयीं। गिरीलाल घबराया। इस बात की रिपोर्ट हुई। श्री पाध्ये चक्कर आफिसर बड़ा ही नाराज हुआ। वह पीता भी था। इस नाराजगी के दौरान उसने गिरीलाल को “नालायक” शब्द से संबोधित किया। मैं भी पास ही खड़ा था। मुझे यह सहन न हुआ। मैंने इसका विरोध किया। पाध्ये ने मुझे मशीन ठीक करने की चुनौती दी जिसे मैंने मंजूर किया।

वहाँ कोई सामान नहीं था, केवल कुछ रंगों को छोड़कर। बारीक ब्रश की बड़ी आवश्यकता थी। बुलटाना षडयंत्र केस के एक अभियुक्त नारायण दत्तात्रेय जाधव को रंग करने के लिए पूछा पर उसने, जो कभी फोटोग्राफी करता था, अपनी असमर्थता प्रगट की। मैंने कैदियों से गिलहरी को पकड़वाया और उसकी पूंछ के बालों से एक सुन्दर बारीक ब्रश तैयार किया। डॉयल पर खासा अच्छा रंग चढ़ाया कि मेम साहिबा देखते ही बोल उठीं “एक्सीलेंट”। सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब ने गिरीलाल के टिकट पर चार दिन की माफी लिखी। मैं पाध्ये से मिला। वह शर्माया, कहने लगा कि “मैंने गुस्से में आप लोगों को कड़े शब्द बोल दिया था

इसका ख्याल न करना। मैंने कहा “नालायक” जो हम ठहरे।

इस तरह दिन, माह और वर्ष कटते गये। सन् 1946 में देश में आम चुनाव हुए। कई प्रांतों के अलावा हमारे मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस का शासन आया। अप्रैल सन् 46 में कांग्रेस की वजारात बनी। श्री आर.के. पाटिल ( जो सन् 42 में रायपुर के डिप्टी कमिश्नर रह चुके थे ) साहब भी मंत्री बने। वे रायपुर में पधारे। उन्होने लिखित में जेल अधिकारियों को, हम लोगों को ठीक अच्छी तरह से रखने का हुक्म दिया।

मई सन् 1946 में शहीदे आजम सरदार भगतसिंह के साथी श्री जयदेव कपूर रायपुर आये। गांधी चौक में एक बड़ा जलसा हुआ। एक प्रस्ताव हम दोनों ( मैं और गिरीलाल ) को शीघ्र जेल से रिहा करने बाबत शासन से आग्रह कर प्रस्ताव पारित किया गया। आखिर 26 जून 1946 को वह शुभ दिन आया। हम दोनों करीब 7.30 बजे रात्रि को रिहा कर दिये गये। हमारे कपड़े सड़ गये थे। अचानक छूटने के कारण हम घर से कपड़े नहीं बुलवा सके। जेल से हमें पांच-पांच गज लट्टा दिया गया। हमने एक छोर को पहन कर दूसरे छोर से शरीर ढंक लिया। गिरीलाल जी को जेल से पांच रूपये मिले जो जेल की मेहनत की कमायी थी।

हम रास्ते में जान पहिचान के लोगों को देखते पर हमें वे नहीं पहिचान पाते थे। हम दोनों एक होटल में घुसे, खा पीकर पांच रूपये खतम कर दिये। होटल का मालिक हमको बड़े गौर से देखता था। शायद उसने हमें जंगली क्षेत्र से आया हुआ समझा होगा। गिरीलाल सफदर अली बंदूक वाले के यहाँ चला गया और मैं अपने घर चला गया। दरवाजा बंद था। किसी को ख्याल नहीं

था कि हम अवधि पूरी होने के पहिले ही चले आयेंगे। मैंने माँ को आवाज दी। माँ ने अपने बेटे की आवाज पहचान ली। उसने दौड़कर दरवाजा खोला। माँ रोने लगी। चार वर्ष से रूके हुये आंसू बांध तोड़कर ढलने लगे।

हमारे जेल से छूटने की खबर फैल गयी। लोगों का मिलना-जुलना कई दिनों तक जारी रहा। इसी बीच मैंने गिरीलाल से कहा कि तुम बिहार, जाकर नयी बन्दूक बनाने का लाइसेंस मांगो। वह दूसरे ही दिन मुंगेर अपने निवास स्थान के लिये चला गया और सरकार से लाइसेंस की प्रार्थना की। पर उसे कलेक्टर ने उसी अंग्रेजी शासन के रवैये के मुताबिक लाइसेंस देने से इंकार कर दिया। वह फिर रायपुर आया। मैं उसे लेकर कांग्रेस के दफ्तर गया। नगर कांग्रेस के मंत्री श्री मानिक लाल चौबे से मिला। उनसे कहा कि अपना शासन होने पर भी यह विदेशियों जैसे व्यवहार और अडंगेबाजी क्यों की जा रही है? उन्होंने तत्काल एक सिफारिशी पत्र कांग्रेस कमेटी रायपुर के नाम की सील लगाकर हमें दिया। उस पत्र को लेकर गिरीलाल मुंगेर गया और उसको नयी बन्दूक बनाने का लाइसेंस मिल गया।

इसके बाद सन् 1946 में कांकेर में जन-आन्दोलन का उभार आया और मैं भी वहाँ दो बार गया। श्री ठाकुर प्यारेलाल सिंह के साथ भी गया। वह छोटी सी रियासत रही ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ा। राजा साहब ने झट जनता को प्रतिनिधित्व दिया। श्री रामप्रसाद पोटाई व श्री चित्त संतोष लाहरी दोनों को जनता की तरफ से मंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद सन् 1947 में भारत की सभी रियासतों का विलय हो गया।

## ॥ दो शब्द ॥

पन्द्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस का वह शुभ दिन आया, जिस दिन हमारा देश आजाद कर दिया गया। सत्ता का कागजी आदान-प्रदान हुआ। गोरे अपना बिस्तर बांधकर चले गये और कुछ जाने की तैयारी में थे। लोगों के मन में बड़ी उमंग थी। उनके मन की साध अपने को स्वतंत्र करने की पूरी हुई।

हमारे नेताओं ने बहुत पहिले से बड़े-बड़े वायदे किये थे। बड़ी-बड़ी आशाएं दिलाई थीं कि आजादी मिलने के बाद हम देश को स्वर्ग बनायेंगे कोई व्यक्ति भूखा, नंगा, दुखी नहीं रहेगा। बड़ी-बड़ी तनख्वाहें खत्म कर दी जायेंगी। जनता का राज होगा, राम-राज्य होगा। ये सब्ज-बाग हम सबको दिखाये गये थे। पर बीस साल की कांग्रेसी हुकुमत में देश ने क्या तरक्की की है, वह सबके सामने है। अगर किसी भी समझदार आदमी से यही प्रश्न कर दिया जाय तो सिर्फ जवाब में मायूसी ही दिखाई देगी। तरक्की की है देश ने भुखमरी में, बेरोजगारी में, मिलावट में, चोर बाजारी में, कालाबाजारी में, घूस खोरी में।

हमारे राशन में कटौती पर कटौती की जा रही है। अमेरिका से पी.एल. 480 का दान जारी है। हमें बच्चे कम पैदा करने को कहा जाता है क्योंकि भुखमरी है। आखिर क्यों ?

बेरोजगारी की बात रोजगार दफ्तर के आंकड़े बतायेंगे। अगर एक जगह खाली हुई तो सैंकड़ों की तादाद में उम्मीदवार खड़े रहते हैं।

मिलावट की तो कोई सीमा नहीं है। रेत बाहर से मंगाया जाता है और उन्हे खाने की चीजों में मिलाया जाता है। हमें कौन सी चीज शुद्ध मिलेगी, यह एक समस्या है। जो चीज आपको खुले बाजार में अगर न मिले तब आप एक दूसरे बाजार में तालाश करिये आपको मिल जायेगी। वह है चोर बाजार। पहिले हम बड़े-बड़े लोगों को चोर बाजारी करते सुना करते थे। पर आज जिसे सिर्फ एक किलो शक्कर मिलती है वह भी उसे चोर बाजार में बेच आता है। तो वह तो सर्वव्यापी हो गया है।

घूसखोरी का इतना विराट रूप है कि मन में प्रश्न उठता है कि कौन सा विभाग है जहाँ घूस खोरी नहीं होगी। जो कम पाता है वह भी घूस खाता है, जो हजारों पाते हैं वह भी घूस खाते हैं। पर खाने के तरीके में फर्क है। पहिले लोग झिझक के साथ अंधेरे में चुपचाप पैसे लेते थे। पर अब दिन के उजाले में खुशी से ले लिया करते हैं। पहिले घूस खाने में कुछ शर्म आ जाती थी पर आज वह एक फैशन है। हम आप ये जानते हैं, उपरोक्त बुराइयां देश में मौजूद हैं। तब इन बुराइयों का कारण ढूंढे। बगैर कारण के कार्य नहीं होता है। इन बुराइयों को हमारी सरकार की ढीली और पक्षपात पूर्ण नीति आदि के कारण ही बढ़ावा मिला है। नीति में ढीलापन होना बढ़ावा मिलने का बड़ा कारण है।

लोगों ने जनता के सेवक बनने की कसमें खार्यी थी और शासन में जाने के बाद अपने आपको जनता के मालिक समझ बैठे हैं। चौथे आम चुनाव में कई प्रांतों में गैर-कांग्रेसी वजारतें बनी हैं। वहाँ भी वही तौर तरीका देखा जा रहा है। असल बात यह है जब तक पूंजीपतियों के नुमाइन्दे याने उनकी मदद या

पैसे से सरकार में जायेंगे वे कभी मजदूर व किसान के मध्यम दर्जे के लोगों का भला नहीं कर सकते, चाहे वह किसी पार्टी से चुनकर जावें। देश में कम्युनिस्ट पार्टी ही ऐसी क्रांतिकारी जमात है जो दबे हुए, कुचले हुए पिछड़े हुए मजदूर किसान व मध्यम वर्गीय लोगों की नुमाइन्दगी कर सकती है और यही कारण है कि पूंजीपती लोग इस पार्टी के खिलाफ जोरदार बेबुनियाद, अनर्गल प्रचार करके लोगों को गुमराह करते हैं। जब तक पूंजीवाद को नहीं नष्ट किया जायगा देश में सुख, समृद्धि और शांति नहीं आ सकती, हमारा स्वराज्य पूर्ण नहीं हो सकता। जो यह समझता है कि हम आजाद हो गये हमारा कार्य खत्म हुआ बिल्कुल गलत ख्याल है। हमें राजनैतिक आजादी मिली है आर्थिक नहीं। इसके लिये अभी संघर्ष करना बाकी है। आगे बढ़ो अपनी शक्ति को पहिचानो और जो ये चंद मुट्ठी भर लोग तुम्हारे भाग्य विधाता बन बैठे हैं, उन्हें शासन से निकाल बाहर करो या अपनी तकदीर तुम खुद बनाओ।

हमें खुशी है कि देश भर में जो एक संघर्ष का नजारा दिखाई दे रहा है वह उस अंतिम संघर्ष का ही प्रथम दौर है। जिसका इंतजार देश की आम जनता कर रही है। जो पूंजीपति वर्ग कल तक अंग्रेज-भक्त थे, राव साहिबी या राय साहिबी का खिताब लिये फिरे थे, पन्द्रह अगस्त 1947 के बाद रातोंरात टोपी बदलकर और देशभक्तों का बाना पहिनकर सामने आने लगे। आज ऐसे ही अनेक नकली देश भक्तों के हाथ में कांग्रेसी हुकूमत की बागडोर है। सही में जो अच्छे लोग थे, जिन्हें देश-प्रेम था, पीछे ढकेल दिये गये।

कांग्रेस के लोग छाती पीट-पीट कर लोगों को प्रभावित

करते हैं कि हमने गांधी वादी तरीके से ( अहिंसा ) स्वराज्य लिया है। ये लोग इतिहास लीपने की कोशिश करते हैं, या लोगों को इतिहास से अनभिज्ञ समझते हैं।

हमारा देश आज भी कमजोर बना हुआ है। पाकिस्तान जैसा छोटा राष्ट्र जो हमारा ही टुकड़ा है, हम पर बार-बार आक्रमण करने की हिम्मत करता है, चीन हमारी जमीन को खरोंचता है और हम चीखते चिल्लाते हैं। हम रूस, अमेरिका आदि देशों की तरफ मदद के लिये मुंह ताकते हैं। जनता पूछती है कि क्यों देश को कमजोर रखा गया किसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था ? दुनिया के और भी देश जो हमसे थोड़ा आगे पीछे आजाद हुए और आज वे पूर्ण रूपेण अपनी रक्षा करते हुए उन्नति करते चले आ रहे हैं। फिर हम क्यों पीछे रह गये ?

हमने दुनिया के तमाम देशों से कर्ज लिया। रूस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, जापान से। न जाने किन-किन से हमने उधार लिया पर यह सब पैसा कहाँ गया? यह पैसा न हमारे पास है न तुम्हारे पास न उन किसानों व मजदूरों के पास है, तो फिर किसके पास है। शायद आपको मालूम होगा। ये बड़े-बड़े सेठों की तिजोरियों में बंद हो गया, बड़े-बड़े ठेकेदारों के पेट में और मंत्रियों और बड़े-बड़े अधिकारियों की जेबों में चला गया और हम गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम दर्जे के लोगों के पल्ले पड़ी - भूख, बेरोजगारी और कर्ज।

अगर हम अपनी जायज मांगों को मांगते है तब हमें मिलती हैं लाठी, गोली और अश्रु गैसों। आश्चर्य तो यह है कि ये शस्त्र उन

बड़े-बड़े चोर बाजारियों, काला-बाजारियों या उन लोगों पर, जो शत्रु देशों के साथ चोरी छिपे व्यापार करते हैं, उन पर कभी भी नहीं चले। हम फिर कहते हैं इतिहास से सबक लो। विदेशी शासन से जब हम भारतीयों का संघर्ष चलता था तब गांधी जी ने विद्यार्थियों से कालेज स्कूल छोड़ देने को कहा था। आगे आकर संघर्ष करने का आह्वान किया था। अब आज शासन गलती पर गलती करते जा रहा है तब इन विद्यार्थियों को रोका जाता है। उन्हें थपकियां देकर सुलाने की कोशिश की जाती है। उन्हें अश्लील चित्र दिखाये जाते हैं उन्हें भ्रष्ट होने की दिशा में पहुंचाया जाता है ताकि वे देश के दुश्मनों के आड़े न आयें। जिस देश का नौजवान व विद्यार्थी वर्ग सो जाता है वह देश डूब जाता है।

■



## लेखक-परिचय

**जन्म :-** मेरठ के एक भूतपूर्व जमींदार एवं संप्रदांत त्यागी-ब्राह्मण परिवार में 21 फरवरी, 1943 को आपका जन्म हुआ।

**शिक्षा :-**सम्राट अशोक इंजीनियरिंग महाविद्यालय से सिविल इंजी. में डिप्लोमा करने के पश्चात् शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर से सिविल में बी.ई. तक शिक्षा।



**कार्यक्षेत्र :-** मेरठ, देहली, विदिशा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रायपुर, दुर्ग और डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में लगभग 40 वर्षों से शासकीय सेवा में इंजीनियर रहते हुए-रायपुर नगर को ही साधना केंद्र बनाया।

**विशेष :-**बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि तथा साहित्यकार श्री अमरनाथ त्यागी एक उत्कृष्ट खिलाड़ी, एथलीट एवं कला पारखी होने के साथ-साथ एक चिंतक, साधक, पर्यावरणविद तथा समाज सेवी रहे हैं। आप राष्ट्रीय विचारधारा के प्रखर देश-भक्त कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए, वहीं प्ररेणा-दायक वीर-रस पूर्ण काव्य एवं भक्ति-काव्य के उत्कृष्ट एवं समृद्ध कवि मनीषी के रूप में स्थापित हो चुके हैं। यद्यपि मूलरूप से आप कवि हैं, किन्तु गद्यकार के रूप में भी आपने अपनी अलग पहचान बनाई है। हिन्दी साहित्य में दीर्घकालीन उल्लेखनीय सेवाओं आदि के उपलक्ष्य में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान की अनेक साहित्यिक एवं इंजीनियर-एसोसिएशन तथा खेल और सामाजिक संस्थाओं ने श्री त्यागी जी को सम्मानित कर उनका नागरिक अभिनन्दन किया है।

वर्तमान में श्री त्यागी जी ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, दिल्ली के

राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप सामाजिक परिवर्तन हेतु एवं समाज सुधार के कार्य के माध्यम से समाज में अंतर्राष्ट्रीय चेतना, विश्व बंधुत्व एवं कुरीतियों एवं रूढ़ियों के प्रति सजग करते हुए राष्ट्रीय जागरण के कार्य में लगे हुए हैं।

ग्रंथ-रचना :- प्रबंध काव्य- कृष्णचरित मानस, पद्यानुवाद-श्रीमद्भगवद गीता, खण्ड-काव्य-महाराणा प्रताप, काव्य-संकलन- श्री गोविंद विलास, जहाँ चंदन महकते हैं, सहस्र सुमन-मन-उपवन के, राजा रतन सेन पद्मावत, रामसेतु, छत्तीसगढ़ की रामायण, धर्मरथ के अतिरिक्त अनेक ग्रंथ संकलन।

प्रो देवी सिंह चौहान

अध्यक्ष,

छत्तीसगढ़ हिन्दी साहित्य मंडल

चौहान कुंज, पार्क रोड-1, चौबे कॉलोनी, रायपुर

The first part of the paper is devoted to a discussion of the  
 general theory of the subject. It is shown that the  
 theory is based on the following principles:  
 1. The theory is based on the principle of least action.  
 2. The theory is based on the principle of relativity.  
 3. The theory is based on the principle of causality.  
 4. The theory is based on the principle of continuity.  
 5. The theory is based on the principle of conservation of energy.  
 6. The theory is based on the principle of conservation of momentum.  
 7. The theory is based on the principle of conservation of angular momentum.  
 8. The theory is based on the principle of conservation of charge.  
 9. The theory is based on the principle of conservation of baryon number.  
 10. The theory is based on the principle of conservation of lepton number.


The second part of the paper is devoted to a discussion of the  
 application of the theory to the case of a particle in a  
 magnetic field. It is shown that the theory predicts the  
 existence of a new type of particle, which has the  
 following properties:  
 1. It has a mass which is equal to the mass of the electron.  
 2. It has a charge which is equal to the charge of the electron.  
 3. It has a spin which is equal to the spin of the electron.  
 4. It has a magnetic moment which is equal to the magnetic moment of the electron.




अंग्रेजों के खिलाफ

# क्रांति

के प्रकाशन पर हार्दिक बधाई



मा. डॉ. रामन सिंह, मुख्यमंत्री-छ.ग. शासन



श्री श्याम बैस  
अध्यक्ष



श्री राधाकृष्ण गुप्ता  
संयोजक

श्री राम वन गमन मार्ग शोध संस्थान, रायपुर (छ.ग.)